RNI NO. : UPHIN/2021/88840

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 4, अंक : 3 आजमगढ़ • सितम्बर 2024 • मूल्य : ₹30

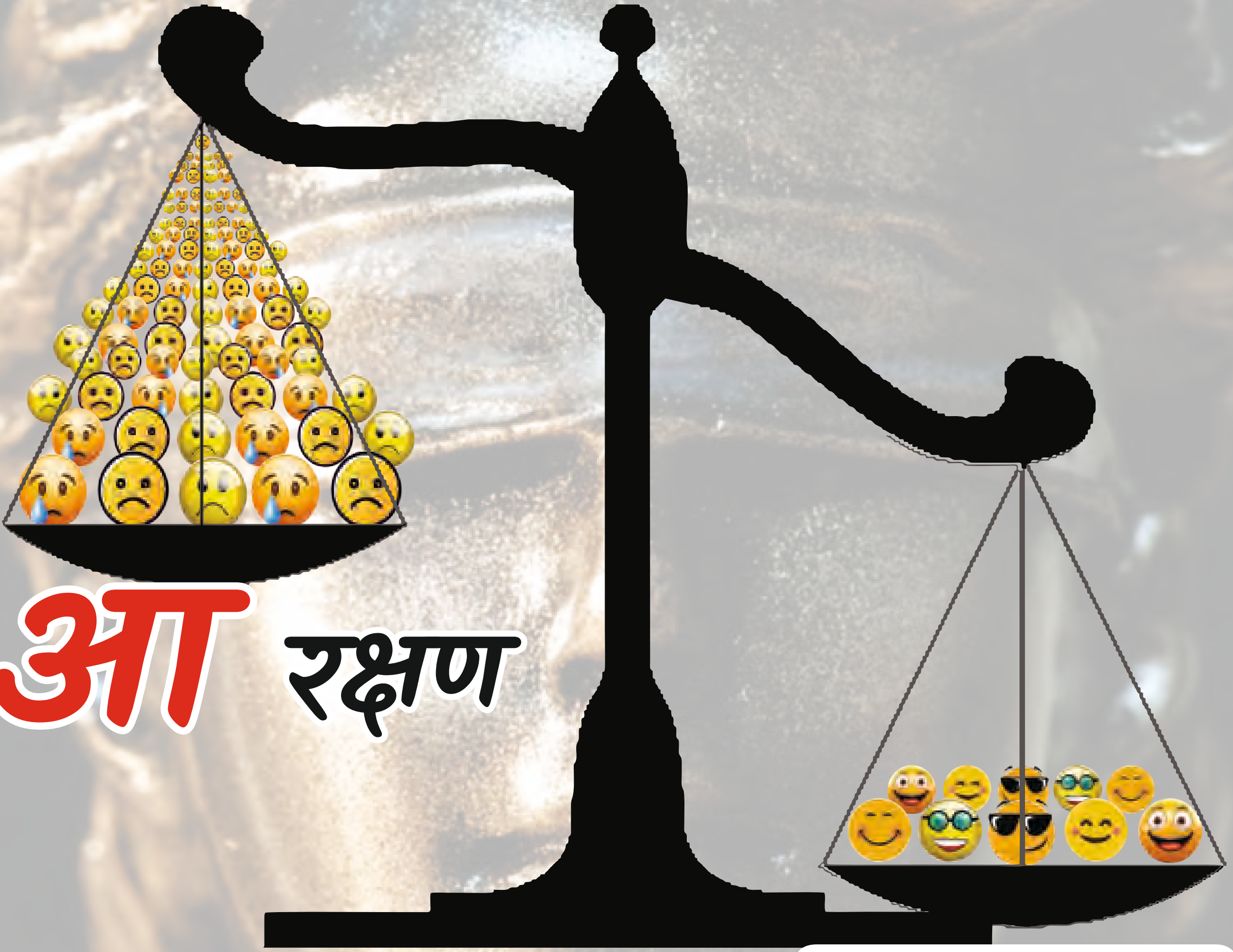

आ रक्षण

अ न्याय

रोस्टर : आरक्षण कटर मशीन

कांग्रेस का पिछड़ा प्रेम कहीं छलावा तो नही?

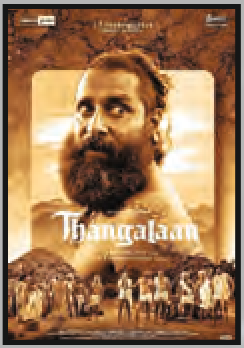

तंगलान : सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार...

"जागत रहा हो!"

आरक्षण पर रण

आरक्षण पर रण का कारण समझना बूझना और उसे पर बात करना भीषण कठिन है। इसके सिद्धांत और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कुछ लोग इसे गरीबी निवारण का उपाय समझने लगे हैं, तो बहुतेरे लोग इसे सामाजिक न्याय का हथियार। इसके नाम पर इलेक्शन जीते जा सकते हैं, विरोध करके इंडिया में राजनीतिक दल का भविष्य दांव पर लग जाता है, लेकिन इतने बड़े सवाल को इंडिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाने से बारीकी से बचा जाता है। इसके फायदे भी हुए, विशेष कर दलित आबादी आरक्षण से बड़ी संख्या में नौकरियों में आए और मिडिल क्लास बन सके। इसके बाद साहित्य, लेखन, वैचारिकता और नागरिकता का वह रूप भी सामने आया, जब दलितों की आवाज विधानसभाओं और लोकसभा में भी गूंजने ही नहीं, कई-कई बार गरजने भी लगी।

लेकिन इंडिया में आरक्षण पर कोई ठोस बहस और तार्किक तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वह इंडियन परंपरागत जहर से मुक्त नहीं हो सके। एससी-एसटी को आरक्षण अमेरिकी गृह युद्ध या फ्रांस के जैकोबिनों की भागीदारी की लड़ाई जैसी घटनाओं का परिणाम या समझौता नहीं था बल्कि अंबेडकर द्वारा आजादी से पूर्व मजबूरी में किया गया समझौता था। कल्पना कीजिए कि अगर पूना पैक्ट ना होता? तो मामला और भी गंभीर बन जाता है, जब आरक्षण को सामाजिक न्याय का हथियार मानने वाले लोग पूना पैक्ट को नही जानते/ समझते। ऐसे में आरक्षण को ठीक से लागू करने वाले लोग कहां से आएंगे? कोई कहेगा आरक्षण 10 साल के लिए था, तो 75 साल लागू करके बहुतेरे लोगों पर एहसान का जवाब देने वालों को आगे आना होगा। जब यह कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं तो योग्यता की पहचान यह भी बतानी पड़ेगी कि बाल काटने के उस्तरे बनाने वाले लोहार भी योग्य थे और जंगली भैंसों को पालतू भैंस बनाकर दूध पिलाने वालों की योग्यता का टेस्ट और पोथी पढ़-पढ़ के जग मुआ के लोगों को एक साथ दौड़ाने पर भी न्याय पूर्ण रेफरी मिले तो दौड़ में नाई, लोहार, अहीर गड़रिए पीछे नही रहेगें। इन सब बातों से आगे बढ़ कर आजकल कथित जिम्मेदार पदों पर बैठे या बड़े नेता यह कहते फिर रहे हैं कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, या कि आरक्षण खत्म होना चाहिए।

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आजकल आरक्षण का फायदा किसको मिल पा रहा है, किसको तात्कालिक फायदा/ नुकसान है तो किसी की दूरगामी परिणामों पर नजर है? कोई बांग्लादेश के आरक्षण से तुलना कर रहा है या इसी तरह की बहुतेरी बातें, और बातों का इतना बतंगड़ बन गया है कि आरक्षण अब उल्टी धार वाली तलवार बन गया है। ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा होना, एससी-एसटी की मेरिट ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होना आम बात हो गई है। जो भी भर्ती निकलती है उसमें ओबीसी कभी 7% तो कभी 12 और एससी कभी 3 तो कभी 9% और एसटी तो कभी-कभी 0 पद हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस एक नया आरक्षण आया, जिसके पदों का विज्ञापन कई बार ओबीसी से ज्यादा हो जा रहा है यह मकड़जाल क्यों और कैसे बन गया? ऊपर से एससी के टुकड़े, एसटी के दो टुकड़े, तो ओबीसी को टुकड़े-टुकड़े करने की मांग और क्रीमी लेयर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता अगर दिख रही है तो सवर्ण चिंतकों और लेखकों को, जो आज तक यह नहीं नहीं समझ-समझा पाए कि ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा क्यों जा रही है? इन सब सवालों की पड़ताल करने की कोशिश इस अंक में करने की गई है। पड़ताल के क्रम में पता चलता है कि 1990 के बाद पंडित अटल पंडित अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने क्यों बड़े पैमाने पर पदों की कटौती की और 1 साल तक ना भरे जाने वाले पदों को स्वतः समाप्त करने का नियम बनाया। जब तक आरक्षण 15 + 7.5 = 22.5 % था, तब तक बहुत चिंता सवर्ण वर्चस्व को नहीं थी। लेकिन जब ओबीसी आरक्षण मिलकर 50% के लगभग हुआ तो 50% तक सीमा बांध दी गई और रोस्टर नामक ऐसी आरक्षण कटर मशीन विकसित की गई जो 3 पद तक तो हमेशा के लिए आरक्षण खत्म कर दी। और 13 पद तक रहने पर एसटी को आरक्षण ना मिले ऐसी व्यवस्था कर दी गई। 3 पदों की कुव्यवस्था के क्रम में ही सुविधा अनुसार ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर आरक्षण लागू नहीं किया, यानी कभी भूला कभी याद कर लिया। लैटरल एंट्री पर हल्ला तो नई बात है लेकिन 2 जुलाई 1997 से लागू रोस्टर व्यवस्था से कितना आरक्षण कट करके जनरल की ओर दे दिया गया इसकी कोई गणना/आंकलन नहीं है। और अब पानी यहां तक पहुंच गया है कि आरक्षण से आरक्षित वर्ग का इस समय फायदा हो रहा या नुकसान इसका आकलन/गणना भी गड्ड-मड्ड हो गई है। जिसका हिसाब इंडिया की आने वाली पीढियां को चुकाना पड़ेगा।

शेष संपादकीय पेज नं. 13 में...

नरेन्द्र

REGISTRATION NO. : UPHIN/2021/88840
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ अंक : सितम्बर
सन्-2024 ▪ वर्ष-4 अंक-03

बसावन इंडिया

अतिथि संपादक
अरविंद कुमार यादव

संपादक
नरेन्द्र प्रताप
मो.: +91 94531 71770

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू
मो.: +91 99211 10844

प्रबंध संपादक
एड. देशराज (लखनऊ)
मो.: +91 9415767238

सह प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
विक्रमजीत, सुधा सिंह,
कमलेश यादव, मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर-परिभाषा
छत्तीसगढ़-डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश-तेजबहादुर
महाराष्ट्र-आकाश खोब्रागड़े
मुजफ्फरपुर बिहार- जवाहर लाल राय
पूर्णिया बिहार- उमेश प्रसाद यादव
लखनऊ-विनीत कुमार
प्रयागराज-धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर-कोमल प्रसाद
पूर्वांचल-रमाकांत यादव
मिर्जापुर-एस.एम. सबा
बलिया-विनय कुमार
अमेठी - फूलचंद
देवरिया - आनंद कुमार
गाजीपुर - विवेक कुमार
सरगुजा संभाग-कृष्णा पैकरा

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान-+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वार, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
https://x.com/BasavanIndia
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व शहीद द्वार सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन-276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

क्या यह कानून की हत्या का प्रयास माना जायेगा?	08
कांग्रेस में न्याय...	10
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का मंडल ऑडिट	16
जातीय जनगणना रिपोर्ट : ग्राम अरौद, पो.गिरौद, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़	17
बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण बना तख्तापलट का कारण	18
एनएफएस : आरक्षण पर घात	20
आम चुनाव : यूपी वालों का सामाजिक न्याय	21
लोकतंत्र को कमजोर करता धन बल	22
क्या है देश में आरक्षण की स्थिति	26
ठगी के शिकार मोबाइल उपभोक्ता	28
स्मृतिशेष शरद यादव	29
नेपथ्य के नायक खंड - 1 & 2	33

www.basavanindia.com
बसावन इंडिया की ख़बरें हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ी जा सकती हैं।

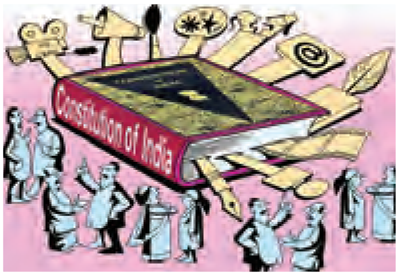

06 **संविधान हत्या दिवस ? -** भारत सरकार या कहें भाजपा सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 25 जून...

19 **उत्तर प्रदेश सरकार के गले की फांस बना - 69 हज़ार शिक्षक भर्ती घोटाला-** 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला प्रदेश की योगी सरकार...

24 **नाम में क्या रखा है?-** हाल में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक फरमान कि कांवड़ यात्रा मार्ग की सभी दुकानों पर दुकानदारों...

30 **कजरी : घेरे बा बदरिया हो ना... -** कजरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोक गायन है। चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिस...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनःप्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

रोस्टर : आरक्षण कटर मशीन

चित्र 1

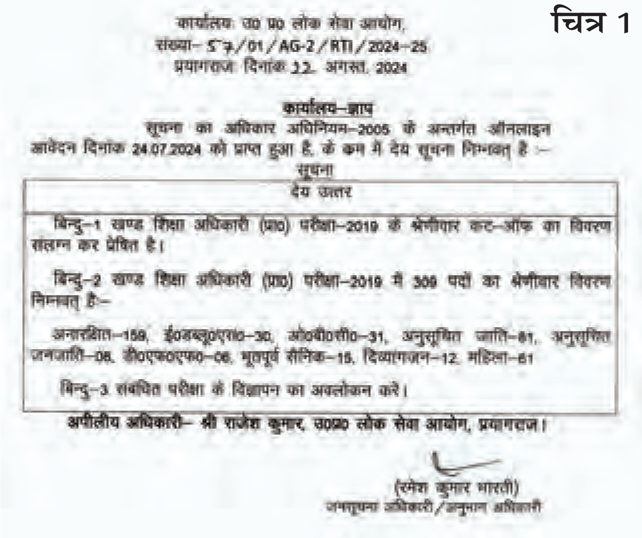

कार्यालय: उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग,
संख्या– 57/01/AG-2/RTI/2024–25
प्रयागराज: दिनांक 12 अगस्त, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24.07.2024 को प्राप्त हुआ है, के क्रम में देय सूचना निम्नवत् है :–

सूचना

देय उत्तर
बिन्दु–1 खण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रा0) परीक्षा–2019 के श्रेणीवार कट–ऑफ का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।
बिन्दु–2 खण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रा0) परीक्षा–2019 में 309 पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है:– अनारक्षित–159, ई0डब्लू0एस0–30, ओ0बी0सी0–31, अनुसूचित जाति–61, अनुसूचित जनजाति–06, डी0एफ0एफ0–06, भूतपूर्व सैनिक–15, दिव्यांगजन–12, महिला–61
बिन्दु–3 संबंधित परीक्षा के विज्ञापन का अवलोकन करे।

अपीलीय अधिकारी– श्री राजेश कुमार, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

(रमेश कुमार भारती)
जनसूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

चित्र 2

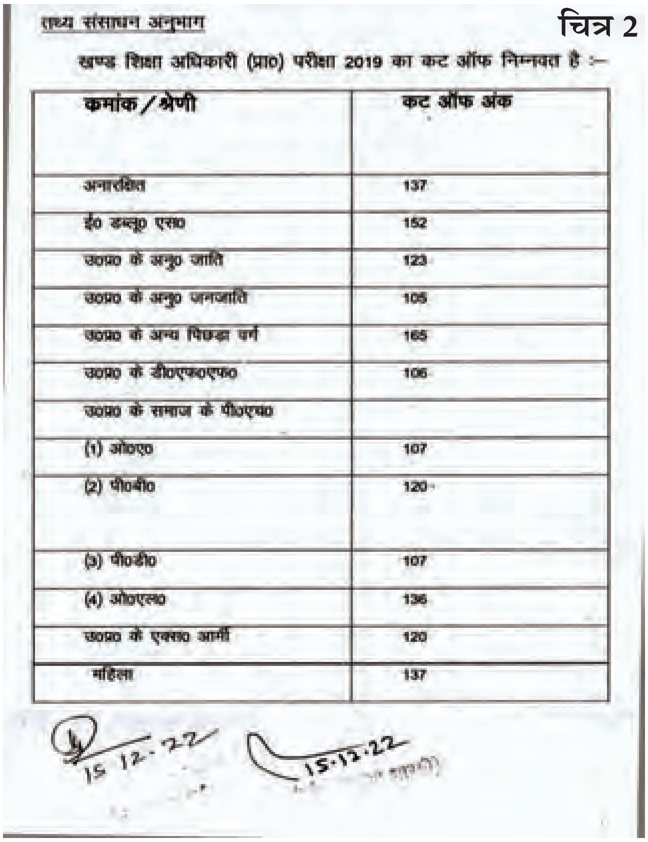

राज्य संसाधन अनुभाग

खण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रा0) परीक्षा 2019 का कट ऑफ निम्नवत है :–

क्रमांक/श्रेणी	कट ऑफ अंक
अनारक्षित	137
ई0 डब्लू0 एस0	152
उ0प्र0 के अनु0 जाति	123
उ0प्र0 के अनु0 जनजाति	105
उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग	165
उ0प्र0 के डी0एफ0एफ0	106
उ0प्र0 के समाज के पी0एच0	
(1) ओ0ए0	107
(2) पी0बी0	120
(3) पी0डी0	107
(4) ओ0एल0	136
उ0प्र0 के एक्स0 आर्मी	120
महिला	137

15.12.22
15.12.22

ऊपर देखिये और विचार कीजिये

चित्र 1 को देखिए –

- क्यों ओबीसी की 31 सीटें है, जबकि जनरल की उससे 5 गुना से भी अधिक 159 सीटें हैं?
- ओबीसी की सीटें महिलाओं (61) की भी आधी हैं क्यों?
- EWS का आरक्षण 10% है, जबकि आरक्षित सीटें ओबीसी (31) से मात्र एक कम है, जबकि ओबीसी का आरक्षण 27% है, ऐसा क्यों?

अब जरा चित्र 2 पर नजर डालिए –

- ओबीसी की मेरिट 165 है, जो जनरल की मेरिट से 28 अंक अधिक है। ऐसे में क्या ओबीसी का आरक्षण, आराक्षित ओबीसी के लिए लाभ दायक है? क्या ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए ? जैसे कि कुछ आरक्षण विरोधियों ने कहा था कि आरक्षण को इस तरह गड्ड-मड्ड कर दिया जाना चाहिए कि इसे लेने वाले लोग ही इसे समाप्त करने की मांग करने लगें|
- क्या अब आरक्षित वर्ग को अपने आप को जनरल मान लेना चाहिए, विशेषकर ओबीसी के लोगों को?
- EWS की आय सीमा भी 08 लाख है जबकि ओबीसी की नान क्रीमीलेयर आय सीमा भी लगभग – लगभग सामान है।

भर्तियों में अक्सर ऐसा होता है कि

- जब वैकेंसी निकलती है तो कभी-कभी जनरल को 50% से अधिक, ओबीसी 3% एससी को 5%, एसटी-0, ऐसा क्यों?
- कई परीक्षाओं के परिणाम में एससी-ओबीसी और कहीं-कहीं एसटी की मेरिट जनरल से ज्यादा चली जाती है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट तो प्रायः एससी/ एसटी/ ओबीसी से कम होती है क्यों?
- उप/सचिव, संयुक्त सचिव की भर्ती आती है तो उसमें **सिंगल पद करने से आरक्षण स्वतः समाप्त** हो जाता है क्यों? एक ही नहीं 3 पद तक आरक्षण लागू नहीं होता, ऐसा क्यों?
- अगर ओबीसी/ एसटी/ एससी का वर्गीकरण करके ओबीसी को 03 (9+9+9), एससी को 02 (5+5+5) और एसटी को 02 (2+5.5) भागों में बांट दिया जाए तो 11 पदों तक आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा क्यों?

इन सवालों का जवाब इस समय जानना लाजमी है क्योंकि लेटरल एंट्री पर दबाव बनाकर भर्ती तो वापस कर दी, लेकिन ऐसी हजारों भर्तियों का क्या होगा जो इसी तरह की बिना आरक्षण की भर ली गई।

बानगी के तौर पर लेटरल एंट्री में 45 पद भरे जाने थे| यदि सभी पदों को एक समान मान लिए जाए तो 22.5 पद आरक्षित हो जाएंगे, तो स्थिति निम्न होगी –

वर्ग	आरक्षित सीट	आरक्षित सीट रोस्टर लगाने के बाद
ओबीसी	12.15	10
एससी	6.75	6
एसटी	3.3	3
योग	22.27	19

जिसमें 12.15 पद ओबीसी के लिए, एससी के लिए 6.75 एंव एसटी के लिए 3.3 पद आता है जिसका योग 22.27 होता है, लेकिन रोस्टर लगा दिया जाए तो 19 सीटें आरक्षित वर्ग को मिलेंगी क्यों कि रोस्टर में

आईये जानते है कि रोस्टर व्यवस्था क्या है और यह कैसे आरक्षण के पर कतर रही है ....

No. 36012/2/96-Estt.(Res)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

*****

North Block,
New Delhi, the 2nd July, 1997.

OFFICE MEMORANDUM

- 2 JUL 1997

Subject: Reservation roster - Post based - Implementation of the Supreme Court Judgement in the case of R.K. Sabharwal Vs. State of Punjab.

****

The undersigned is directed to say that under the existing instructions, vacancy-based rosters have been prescribed in order to implement the Government's policy relating to reservation of jobs for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. The application of reservation on the basis of these rosters was called into question before Courts. The Constitution Bench of the Supreme Court, in the case of R.K. Sabharwal Vs. State of Punjab as well as J.C. Mallick Vs. Ministry of Railways has held that the reservation of jobs for the backward classes SC/ST/OBC should apply to posts and not to vacancies. The Court further held that the vacancy based rosters can operate only till such time as the representation of persons belonging to the reserved categories, in a cadre, reaches the prescribed percentages of reservation. Thereafter, the rosters cannot operate and vacancies released by retirement, resignation, promotion etc. of the persons belonging to the general and the reserved categories are to be filled by appointment of persons from the respective category so that the prescribed percentage of reservation is maintained.

2. The Court also held that persons belonging to the reserved categories, who are appointed on the basis of merit -- and not on account of reservation -- are not to be counted towards the quota meant for reservation.

3. With a view to bringing the policy of reservation in line with the law laid down by the Supreme Court, it has been decided that the existing 200-point, 40-point and 120-point vacancy-based rosters shall be replaced by post-based rosters. All Ministries/Departments and concerned Authorities are requested to prepare the respective rosters based on the principles elaborated in the Explanatory Notes given in Annexure-I to this O.M. and illustrated in the Model Rosters annexed to this O.M. as Annexure-II, III and IV. Similarly, the concerned authorities may prepare rosters to replace the existing 100-point rosters in respect of local recruitment to Group C & D posts on the basis of the same principles.

.....2/-

2 जुलाई 1997 का भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम

हिन्दी वर्जन

न्यायालय ने आदेश में आगे यह भी कहा था की रिक्त आधारित रोस्टर तब-तब चलाया जा सकता है, जब तक की आरक्षित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक न पहुंच जाए, लेकिन केंद्र सरकार के वैकेंसी आधारित आरक्षण के स्थान पर 2 जुलाई 1997 के आफिस मेमोरेंडम द्वारा पद आधारित आरक्षण लागू कर दिया गया जो लगातार आरक्षण के पर कतर रहा है। इस बारे में निम्न तथ्य दिए गए थे।

अगर 45 पद है तो रोस्टर इस तरह बनेगा

ANNEXURE-II

FOR DIRECT RECRUITMENT

OBJECTIVE:- REPRESENTATION OF EACH OF THE RESERVED CATEGORY SHOULD AT NO POINT OF TIME EXCEED THE RESERVATION PRESCRIBED FOR IT.

MODEL ROSTER OF RESERVATION WITH REFERENCE TO POSTS FOR DIRECT RECRUITMENT ON ALL INDIA BASIS BY OPEN COMPETITION

Sl. No. of post	Share of entitlement SC @15%	ST @7.5%	OBC @27%	category for which the post should be earmarked.
1.	0.15	0.075	0.27	UR
2.	0.30	0.15	0.54	UR
3.	0.45	0.225	0.81	UR
4.	0.6	0.3	1.08	OBC-1
5.	0.75	0.375	1.35	UR
6.	0.90	0.45	1.62	UR
7.	1.05	0.525	1.89	SC-1
8.	1.2	0.6	2.16	OBC-2
9.	1.35	0.675	2.43	UR
10.	1.5	0.75	2.7	UR
11.	1.65	0.825	2.97	UR
12.	1.8	0.9	3.24	OBC-3
13.	1.95	0.975	3.51	UR
14.	2.1	1.05	3.78	ST-1
15.	2.25	1.125	4.05	SC-2
16.	2.40	1.2	4.32	OBC-4
17.	2.55	1.275	4.59	UR
18.	2.70	1.35	4.86	UR
19.	2.85	1.425	5.13	OBC-5
20.	3.00	1.5	5.4	SC-3
21.	3.15	1.575	5.67	UR
22.	3.30	1.65	5.94	UR
23.	3.45	1.725	6.21	OBC-6
24.	3.60	1.8	6.48	UR
25.	3.75	1.875	6.75	UR

केवल पूर्णांक ही लिया जाता है जिसके कारण आरक्षित वर्ग को एससी/ एसटी/ ओबीसी को मिलेगा केवल 19% अर्थात 26 सीटें जनरल को जाएंगी जबकि 19 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी को।

कैसे घटेगा इस बारे में दूसरी विस्तृत रिपोर्ट बसावन इंडिया के अगले अंकों में प्रकाशित की जाएगी।

क्या है रोस्टर व्यवस्था

- 2 जुलाई 1997 को भारत सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में आरक्षण रोस्टर को पद आधारित करने की व्यवस्था की। आरके सबरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वच्च न्यायलय के संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें कहा गया था कि आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए न की रिक्तियों पर लागू होना चाहिए। **न्यायलय ने आदेश में आगे यह भी कहा था की रिक्त आधारित रोस्टर तब-तब चलाया जा सकता है, जब तक की आरक्षित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक न पहुंच जाए, लेकिन केंद्र सरकार के वैकेंसी आधारित आरक्षण के स्थान पर 2 जुलाई 1997 के आफिस मेमोरंडम द्वारा पद आधारित आरक्षण लागू कर दिया गया जो लगातार आरक्षण के पर कतर रहा है।**

इस बारे में निम्न तथ्य दिए गए थे -

- 2 जुलाई 1997 को भारत सरकार ने ये आदेश पारित किया कि आरक्षण पदाधारित होगा न कि रिक्ती आधारित।
- 2 जुलाई 1997 से लागू होने वाले पद आधारित रोस्टर में सभी नियुक्तियों को रोस्टर में व्यवस्थित करना आवश्यक होगा। इसके लिए सर्वप्रथम पदों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद यह तय करना होगा कि किस श्रेणी द्वारा कोई पद भरा जाएगा।
- रोस्टर पद्धति आरक्षण की धार को समाप्त करने का हथियार है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण पदों का है न कि रिक्तियों का। इसका नतीजा हुआ कि 22 वर्षों से लागू होने के बावजूद पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भारत सरकार में 4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 16 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका, जो मण्डल कमीशन की रिर्पोट के अनुसार 1980 में 12.55 प्रतिशत थी। अर्थात 24 सालों मे 4.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आरक्षण लागू करने वाली व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है।
- समुचित रोस्टर की पहचान भर्ती के तरीके और पदों की संख्या के आधार पर की जाएगी प्रत्येक रोस्टर में अंकों की संख्या प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या के बराबर

-: 2 :-

(12)

26.	3.90	1.95	7.02	OBC-7
27.	4.05	2.025	7.29	SC-4
28.	4.20	2.1	7.56	ST-2
29.	4.35	2.175	7.83	UR
30.	4.50	2.25	8.1	OBC-8
31.	4.65	2.325	8.37	UR
32.	4.80	2.4	8.64	UR
33.	4.95	2.475	8.91	UR
34.	5.10	2.55	9.18	OBC-9
35.	5.25	2.625	9.54	SC-5
36.	5.40	2.7	9.72	UR
37.	5.55	2.775	9.99	UR
38.	5.70	2.85	10.26	OBC-10
39.	5.85	2.925	10.53	UR
40.	6.00	3	10.8	ST-3
41.	6.15	3.075	11.07	SC-6
42.	6.30	3.15	11.35	OBC-11
43.	6.45	3.225	11.61	UR
44.	6.60	3.3	11.88	UR
45.	6.75	3.375	12.15	OBC-12

होगी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग को पूर्णांक प्राप्त होने पर ही आरक्षण प्राप्त होगा रोस्टर में पदों को चिन्हित करने के लिए पदों से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत का गुणा करने पर पूर्णांक बनने वाला पद उसे श्रेणी के लिए आरक्षित होगा तीन पदों तक कोई आरक्षण लागू नहीं होगा इसे उपरोक्त चार्ट से समझा जा सकता है

- यदि किसी विभाग में तीन पद या कम हैं तो उसपर आरक्षण लागू ही नहीं होगा
- यदि किसी विभाग में केवल 14 पद हो तो 9 पड़ा हमेशा के लिए सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गए जो लगभग 65% है जबकि आरक्षित वर्ग 35%।
- यदि किसी विभाग में 13 पद हो तो 9 पद हमेशा के लिए सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित होंगे जो लगभग 70% होगा और आरक्षित वर्ग को केवल 30% आरक्षण मिलेगा
- अखिल भारतीय स्तर पर पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए जहां केवल 13 से कम पद होते हैं वहां पर रोस्टर नहीं लागू हो पाता तीनों श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 13 बिंदु रोस्टर जिसे L आकर वाला रोस्टर कहते हैं तैयार किया गया है **जिसे हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगें।**
- प्रत्येक से का आरक्षण उसकी निर्धारित सीमा के अंदर हर हाल में होना चाहिए
- कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए
- यह भी व्यवस्था है कि आरक्षित श्रेणी के लोग जो लोग अपनी मेरिट से सीधी भर्ती द्वारा सामान्य वर्ग के पद पर चयनित होते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी का मान लिया जाएगा| इसके पश्चात वास्तविक स्थिति की गणना की जाएगी कि विभिन्न श्रेणियां द्वारा कितने प्रतिशत पद भरे गए| यदि किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है यह कुल आरक्षण का 50 सदस्य से अधिक होता है तो इसे भविष्य में व्यवस्थित किया जाएगा| वर्तमान भर्ती को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की भर्ती के दौरान उतने पद सामान्य वर्ग द्वारा भरे जाएंगे जितने लोग आरक्षित श्रेणी के सामान्य वर्ग में भरे गए थे।
- प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था 2 जुलाई 1997 के बाद उत्पन्न होने वाली श्रेणियां के लिए है अर्थात पहले जो अनुचित प्रतिनिधित्व है उसे जायज ठहराया गया|
- यदि पद चिन्हित है और रिक्तियों में आरक्षण नहीं है तो 'अनारक्षित' होने का सवाल ही नहीं उठाता है। इसका अर्थ है कि बाकी बाकी सभी पद सामान्य वर्ग के लिए चिन्हित हो जाता है जो 50% से लेकर 100% तक है
- अनारक्षित वर्ग को 50% से 100% आरक्षण देने की व्यवस्था है वर्तमान रोस्टर व्यवस्था। इसके विसंगतियों को समझा जा सकता है कि यदि सामान्य वर्ग के लोगों को भी 15% आरक्षण देकर इसी तरह की रोस्टर में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो बाकी बचे पद हमेशा के लिए खाली छूट जाएंगे वर्तमान रोस्टर की यही खामी है यदि 15% आरक्षण सवर्णों के देने के बाद (अर्थात 15 सवर्णों, 15 अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़े वर्ग)64.5% की सीमा में बांध दिए जाए तो 34.5% पद हमेशा के लिए खाली रह जाएंगे| सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी निर्धारित होना चाहिए न कि बाकी सभी सीटें उनके लिए आरक्षित चिन्हित कर दी जाए
- कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब 50% से अधिक पदों पर किसी भी हालत में किसी को भर्ती नहीं हो सकती है। ▪

प्रो.(डॉ) रतन लाल
दिल्ली विश्वविद्यालय

> "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सरकारी सेवाओं में आरक्षण रोस्टर प्रणाली अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग को 50 से 100% तक का आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर आरक्षण से संबधित गंभीर विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं|"

नरेन्द्र प्रताप
मो.न. +91 94531 71770

संविधान हत्या दिवस ?

भारत सरकार या कहें भाजपा सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन भारत सरकार ने देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लागू कर दिया था। लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिये गये थे। देश के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सरकार को बिना दिखाए कोई खबर नहीं छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी की व्यवस्था है इसकी आलोचना या विमर्श होना चाहिए पर किसी धारा के उपयोग या दुरूपयोग को संविधान की हत्या कहा जाना नए विवाद को जन्म देती है।

क्या है संविधान की व्यवस्था

अनुच्छेद 352 जिसे आपातकाल कहा जाता है, अगर दुरूपयोग/उपयोग/ संशोधन/ परिवर्तन कानून निर्माण पर इस तरह हत्या शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं बनता। बसावन इंडिया की टीम ने उन बिंदुओं की पड़ताल करने की कोशिश की है जो इस तरह विवादास्प है तो क्या उन्हें संविधान की हत्या जैसे शब्द से नवाजा जा सकेगा?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विधमान है जिसमे युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशत्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा (संपूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जाए) इस आशय की घोषणा कर सकेगा।

इसका स्पष्टीकरण है जो इस प्रकार है यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी।

आगे यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाला उद्घोषणा नहीं है वहां वह एक मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

देश के नाम को लेकर संविधान की हत्या

संघ का नाम

अनुच्छेद-1- इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा।

इंडिया या भारत ही देश का संवैधानिक नाम है इसके आलावा यदि कोई इसे अन्य किसी नाम से पुकारता है तो वह असंवैधानिक होगा। आज देश में बड़े-बड़े नेता देश को हिंदुस्तान नाम लेकर चिल्लाते हैं। संघ का वश चले तो वह देश को आर्यावर्त कर दे। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गाँधी भी अक्सर अपने भाषणों में इंडिया को हिंदुस्तान कहकर ही संबोधित करते हैं।

नागरिकता के मुद्दे पर संविधान की हत्या

भारत में, संविधान के अनुच्छेद 5 - 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित हैं। नागरिकता शब्द का अर्थ किसी भी राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेना है जिसमें नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं।

सीएए-

सीएए के तहत केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को ही नागरिकता देने की बात कही गई जबकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर कोई भेड़ भाव नहीं करता है। फिलहाल देश में इसके खिलाफ व्यापक आन्दोलन हुआ और सीएए अभी तक पास नहीं हुआ है क्या यह संविधान की हत्या की श्रेणी में आएगा?

अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री

"गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि 'संविधान हत्या दिवस' उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।"

कांचा आइलैया
सामाजिक चिंतक

"प्रख्यात समाज विज्ञानी कांचा इलैया का मानना है कि भारत और इंडिया के बीच क्या अंतर है मेरी बेसिक समझ है कि हमें देश को इंडिया के नाम से पुकारना चाहिए।इसके पीछे साधारण सा कारण है यह नाम इंडस से आया है, इंडिया की महान सभ्यता की उत्पादन करक शक्तियां- ये दलित, आदीवासी, शूद्र लोग अपने उत्पादन से अपने श्रम से उस सभ्यता को उत्पन्न किया था जब ब्राह्मणवाद नहीं था,जब जाति नहीं था। वह सभ्यता, मिश्र की मेसोपोटामिया सभ्यता और इजराइल की नेटूफियन सभ्यता से ज्यादा महान सभ्यता हम और हमारे पुरखों ने बनाया था। यह इंडिया नाम वहां से आया। पहले इंडस शब्द ग्रीक गया,अलेक्जेंडर के बाद वहां से इटली आया, फाह्यान के आने के बाद यह चीन गया। इंडस से इंडे अब इंडिया नाम स्थापित हो गया। लेकिन भारत क्या है, भारत नाम रामायण से आया दशरथ के एक पुत्र का नाम भरत था। इंडिया नाम में कोई लैंगिक भेद नहीं है। यहाँ कोई महिला और पुरुष के नाम का भेद नहीं है लेकिन भारत नाम में पुरुष नाम है। महाभारत में भी शकुन्तला और भारत हैं। दोनों ही पुरुष नाम हैं। हमें देश को केवल और केवल इंडिया के नाम से जानना चाहिए।"

आरक्षण और प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर कैसे हुई संविधान की हत्या

अनुच्छेद-15 (1)-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। लेकिन आज भी देश में जाति और धर्म के नाम पर विभेद किया जाता है। इस मामले में EWS जो आर्थिक आधार पर है क्या उसे संविधान की हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। ▪

भारतीय संविधान में सामाजिक और

क्या यह कानून की हत्या का प्रयास माना जायेगा?

उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधित) अधिनियम, 2024

उत्तर प्रदेश ने चार साल पहले बनाए गए उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 का स्थान अब उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधित) अधिनियम, 2024 ले लेगा। जिसमे नए अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है। नए विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन की नीयत से किसी महिला, नाबालिग या किसी का भी यौन शोषण करता है, धमकी देता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकता है। इससे पहले गैरकानूनी धर्मांतरण कानून, 2021 के तहत सूचना देने या शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़िता, उसके माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।

नए विधेयक में प्रस्ताव है कि गैरकानूनी धर्मांतरण के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी और इसके साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

विधेयक में संशोधित अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती भी बना दिया गया है।

नई प्रस्तावित धारा 7 के तहत एक आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं। सबसे पहले, सार्वजनिक अभियोजक (राज्य सरकार का अपराध का अभियोजन करने वाला वकील) को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरी, अदालत को यह संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा।

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में सरकारों ने बिना किसी आधार के आरक्षण को आर्थिक उन्नयन की योजना मानते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 % आरक्षण दे दिया जो केवल सवर्णों के लिए है और उनकी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक है। क्या इसे संविधान की हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा?

धर्म के मुद्दे पर संविधान की हत्या

अनुच्छेद 25 से 28 का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म के पालन में भेदभाव, संरक्षण या हस्तक्षेप नहीं करेगा।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में भारतीय संविधान अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वत्रंत्रता देता है।

इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो-

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक

राशिफलों का संवैधानिक आकलन –

भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 (क)(ज) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्यव होगा कि वह - वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। लेकिन क्या आज संविधान के इस अनुच्छेद का पालन किया जा रहा है। दिन रात टेलीविजन पर चमत्कार, अंधविश्वास परोसे जा रहे हैं। हिन्दी भाषी अख़बारों में तो बाकायदा प्रायोजित रूप से राशिफल के नाम से कालम चलाये जा रहे हैं। जिसमें सबके भाग्य धन प्राप्ति पारिवारिक झगड़े की खबरें प्रकाशित की जाती हैं क्या इन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है और यह संविधान पर हत्या का प्रयास नहीं है? माना कि भारतीय संविधान वाक अभिव्यक्ति की स्वत्रंत्रता देता है और समाचार पत्र और टेलीविजन व्यक्तिगत संस्थाएं हैं लेकिन संविधान वाक और अभिव्यति की स्वत्रंत्रता के अंतर्गत अन्धविश्वास फ़ैलाने की जिम्मेदारी नहीं देता और व्यक्तिगत संपत्ति होने के बावजूद भी किसी को अंध विश्वास फ़ैलाने की आज़ादी नहीं दी जा सकती है।

अखिलेश यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा

“ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका प्रतिकार करते 30 जनवरी को 'बापू हत्या दिवस' व 'लोकतंत्र हत्या दिवस' के रूप में मनाने का सुझाव देते हुए लिखा कि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने भाजपा से सवाल करते हुए कई दिवस गिना दिए। उन्होंने आगे लिखा कि मणिपुर में नारी के मान-अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां-बेटी हत्या दिवस, तीन काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस और अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस जैसे भाजपा राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए? ”

क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है;

भारतीय संविधान में धर्म का व्यवहार व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार माना गया है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है भारतीय संविधान में यहाँ तक छूट है कि व्यक्ति नये धर्म की स्थापना भी कर सकता है, नये धर्म की स्थापना के संधर्भ में संविधान में कोई मनाही नहीं है।

आज देश के कई राज्यों उत्तरखंड,मध्य प्रदेश,गुजरात में धर्म के मामले में राज्य का सीधे तौर पर हस्तक्षेप है, देश के कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान कर दिए गए हैं जो धर्म के अबाध रूप से मानने को प्रतिबंधित करते हैं। क्या यह भी संविधान की हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा? ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है जहाँ धर्म परिवर्तन पर कानून बनाये गए हैं। क्या इसे संविधान की हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा? ▪

▪ **बसावन इंडिया टीम व नरेन्द्र प्रताप**

कांग्रेस में न्याय...

2024 के आम चुनाव और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जमकर चुनाव लड़ा। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस 2024 के चुनाव में आंशिक सफलता प्राप्त करने में सफल भी रही। मोदी की गारंटी फ्लॉप साबित हुई। 400 पार का नारा धरा-का-धरा रह गया, वह मात्र जुमला साबित हुआ। वह अपने अकेले के दम पर सत्ता में पहुंचने में असफल रहे। हालांकि, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही।

▪ नरेन्द्र प्रताप

पहली बार कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इतना मुखर हुई देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश में शासन किया देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारी लंबे समय तक रही और आज भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारी चल रही है उन राज्यों में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए हैं।

पिछले दिनों कांग्रेस के सामाजिक न्याय के पैरोंकार राहुल गांधी ने केंद्र में ओबीसी प्रतिनिधित्व को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था वर्तमान मे तत्कालीन मोदी सरकार में ओबीसी अधिकारियों की संख्या मात्र तीन पाई गई जिसको लेकर सोशल मीडिया में जमकर हो हल्ला मचा।

वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में सामाजिक न्याय एक प्रमुख मुद्दा है लेकिन इसके पूर्व कांग्रेस में सामाजिक न्याय को लेकर बहुत कुछ नहीं किया गया स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक यदि हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि इनमें से अधिकतर सवर्ण जातियों अथवा नेहरू परिवार से ताल्लुक रखते से हैं। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और सोनिया गाँधी के अतिरिक्त किसी अन्य महिला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुच सकी। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात् कोई मुस्लिम भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना।

स्वतंत्र भारत में कांग्रेस अध्यक्ष

स्वतंत्रता के बाद कुल 21 व्यक्तियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया

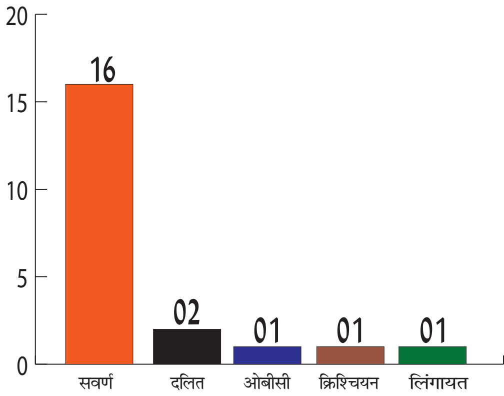

जिसमें से मात्र तीन व्यक्ति ऐसे थे जो की दलित और पिछड़े जातियों से आते हैं।

कांग्रेस का दलित चेहरा

बाबू जगजीवन राम

स्वतंत्र भारत के बाबु जगजीवन राम पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भर संभाला।

मल्लिकार्जुन खड़गे

राहुल गाँधी के नेतृव में जब से कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया दक्षिण भारत के कद्दावर नेता मल्लिकजुन खडगे को दलित चहरे के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाया गया

कांग्रेस का ओबीसी चेहरा

सीताराम केसरी

बिहार के सीताराम केसरी एकमात्र ओबीसी हैं जिन्होंने ने स्वत्रंत्रता के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमद जिले की एक चुनावी जन सभा में सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाये जाने को चुनावी मुद्दा बनाया था।

कांग्रेसी प्रधानमंत्री

स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस से आठ लोगों ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला जिसमे सात लोगों ने सामान्य रूप से प्रधामंत्री पद पर काबिज रहे गुलजारी नंदा जी ने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कारभार संभाला। इन आठ लोगों में से डॉ मनमोहन सिंह, जो कि सिख थे, को छोड़ दिया जाय तो शेष सभी सवर्ण हिंदू थे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू - ब्राहमण
गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक प्रधानमंत्री) कायस्थ
लाल बहादुर शास्त्री- कायस्थ
इंदिरा गाँधी - ब्राहमण
राजीव गाँधी - ब्राहमण
नरसिम्हा राव - ब्राहमण
डॉ. मनमोहन सिंह - सिख

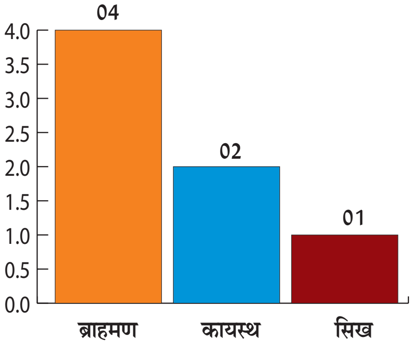

कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की इस सूची में नेहरू परिवार से इतर कोई भी महिला नहीं है। इसके साथ इस सूची में कोई मुस्लिम भी नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी भी छह बार सत्ता में रही। भाजपा से पहली बार प्रधान मंत्री बने पंडित अटल वाजपेयी का 2 कार्यकाल बहुत छोटा रहा, पहली बार वे 13 दिनों के लिए दूसरी बार लभभग ढेढ़ वर्ष तीसरा कार्यकाल पांच वर्षों का उन्होंने पूर्ण किया। जन्मना सवर्ण, वर्तमान में ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पड़ताल के बाद बसावन इंडिया ने प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस की पड़ताल किया। देश के प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गुजरात में मुख्यमंत्रियों की सूची का पड़ताल किया।

प्रमुख हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेसी मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश

1951 से उत्तर प्रदेश में अब तक 20 व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 20 व्यक्तियों के अतिरिक्त, तीन व्यक्ति राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिनका कार्यकाल बहुत छोटा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने वाले 11 लोग कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, जिसमे सभी सवर्ण थे जिनमे से कोई भी दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक नहीं है। उत्तर पदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आबादी 85 फ़ीसदी से अधिक है, प्रदेश की 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटों में किसी भी सीट पर सवर्ण जातियां अपने बूते पर कोई सीट किसी भी पार्टी अथवा राजनीतिक दल को जिता सके। कांग्रेस द्वारा आरक्षित वर्ग की जातियों की उपेक्षा ने कांग्रेस को लम्बे समय के लिए लिए सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल कर क्षेत्रीय दलों और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले दलों के हाथों में पहुँच गयी जो अब भाजपा के हाथों में है कि इस शर्त मिली कि ओबीसी वर्ग से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

गोविंद वल्लभ पंत - ब्राहमण
सम्पूर्णानंद - ब्राहमण
चंद्रभानु गुप्ता - वैश्य (बनिया)
सुचेता कृपलानी - ब्राहमण
त्रिभुवन नारायण सिंह - क्षत्रिय
कमलापति त्रिपाठी - ब्राहमण
हेमवती नंदन बहुगुणा - ब्राहमण
नारायण दत्त तिवारी - ब्राहमण
विश्वनाथ प्रताप सिंह - क्षत्रिय
श्रीपति मिश्र - ब्राहमण
वीर बहादुर सिंह - क्षत्रिय

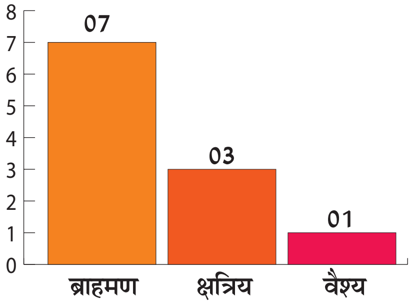

बिहार

बिहार मेंअप्रैल 1946 के बाद कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले 14 लोगों में से मात्र तीन दलित पिछड़े और अल्प संख्यक वर्ग से रहे। जब कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसलने लगी तो कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर भोला पासवान शास्त्री को कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में इस्तेमाल किया उन्हें तीन बार सीएम् बनाया गया, थोड़े थोड़े समय के लिए दारोगा प्रसाद राय और अब्दुल गफ़ूर को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। बिहार में भी दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कांग्रेस को भारी पड़ी और वह लम्बे समय से सत्ता से दूर रह कर अपनी जमीन तलाश रही है।

श्रीकृष्ण सिंह - भूमिहार
दीप नारायण सिंह - क्षत्रिय
बिनोदानंद झा - ब्राहमण
केबी सहाय - कायस्थ
भोला पासवान शास्त्री - दलित
हरिहर प्रसाद सिंह - क्षत्रिय
दारोगा प्रसाद राय - यादव
केदार पांडे - ब्राहमण
अब्दुल गफ़ूर - मुस्लिम
जगन्नाथ मिश्र - ब्राहमण
चंद्रशेखर सिंह - क्षत्रिय
बिंदेश्वरी दूबे - ब्राहमण
भागवत झा आजाद - ब्राहमण
सत्येन्द्र नारायण सिन्हा - भूमिहार

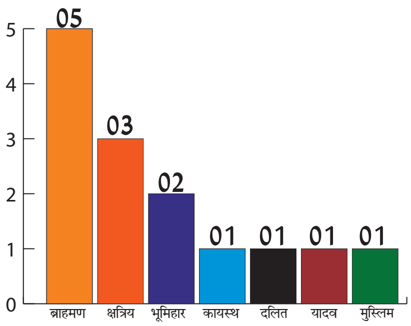

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कांग्रेस 42 सालों तक सत्ता में रही. इन 42 सालों में 20 साल ब्राह्मण, 18 साल ठाकुर और तीन साल बनिया (प्रकाश चंद्र सेठी) मुख्यमंत्री रहे। यानी 42 सालों तक कांग्रेस राज में सत्ता के शीर्ष सवर्ण रहे. कांग्रेस ने यहाँ भी दलित पिछड़े और अल्प संख्यक वर्गों से छल किया, इस मामले में मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से आगे रही, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग से आने वाले बाबु लाल गौर, उमा भारती और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक अनुमान के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी 20 फ़ीसदी से कम है। दलित 15.2 फ़ीसदी, आदिवासी 20.3 फ़ीसदी और बाक़ी ओबीसी और अल्पसंख्यक हैं।

रविशंकर शुक्ल - ब्राहमण
भगवंतराव मंडलोइ - ब्राहमण
कैलाश नाथ काटजू - ब्राहमण
द्वारका प्रसाद मिश्र - ब्राहमण
श्यामा चरण शुक्ल - ब्राहमण
प्रकाश चंद्र सेठी - बनिया
अर्जुन सिंह - क्षत्रिय
मोतीलाल वोरा - ब्राहमण
दिग्विजय सिंह - क्षत्रिय
कमल नाथ - क्षत्रिय

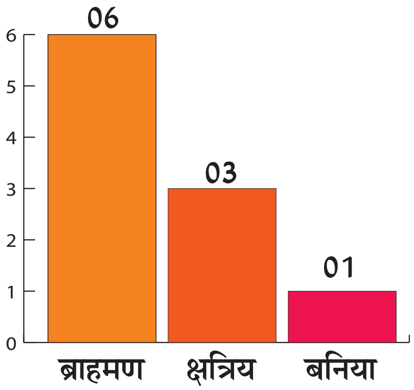

राजस्थान

राजस्थान के मामले में कांग्रेस कुछ अलग रही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अब तक मुख्यमंत्री बनने वालों में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल रहे। कांग्रेस कीतरफ से मुख्यमंत्री बनने वालों में दलित,पिछड़े मुस्लिम और जैन सभी को मौका मिला कुछ हद तक यहाँ सामाजिक न्याय की बात कही जा सकती है।

मोहन लाल सुखाड़िया - जैन
बरकतुल्लाह खान - मुस्लिम
हरिदेव जोशी - ब्राहमण
जगन्नाथ पहाड़िया - दलित
शिवचरण माथुर - कायस्थ
हीरा लाल देवपुरा जाट - ओबीसी
अशोक गहलोत - क्षत्रिय

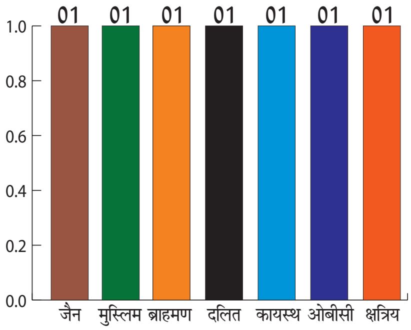

हरियाणा

हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिर्फ हरियाणा एक मात्र एसा राज्य है, जहाँ ब्राहमण और बनिया वर्ग से आने वाले दो सवर्ण भगवत दयाल शर्मा और बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री हुए शेष ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बने।

भगवत दयाल शर्मा - ब्राहमण
चौ बंशी लाल - जाट
बनारसी दास गुप्ता - वैश्य
भजन लाल विश्नोई - जाट
भूपेंद्र सिंह हूडा - जाट

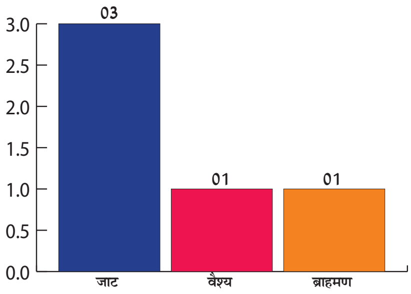

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वालों में एक यादव एक सिख और एक ब्राहमण वर्ग से हैं। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रहम प्रकाश यादव बहुत ही थोड़े समय के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वालों में शीला दीक्षित सबसे लम्बे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही वे तीन बार

दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव - ओबीसी	
गुरुमुख निहाल सिंह - सिख	
शीला दीक्षित - ब्राहमण	

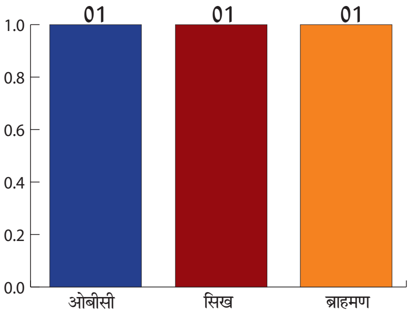

छत्तीसगढ़

नव गठित राज्यों में छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जहाँ एक अपवाद है कि कांग्रेस की तरफ से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले दोनों मुख्यमंत्री अनुसूचित और ओबीसी वर्ग से हैं

अजीत जोगी - अनुसूचित जाति	
भूपेश बघेल - कुर्मी	

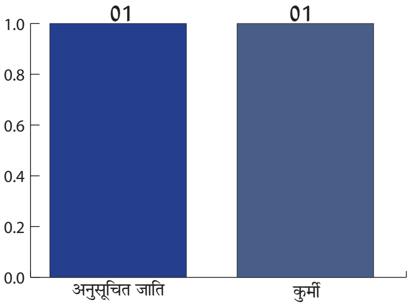

उत्तराखंड

नव गठित राज्यों में उत्तराखंड में भी अपवाद की स्थिति है कि जहाँ कोई भी मुख्यमंत्री आरक्षित और अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं बनाया गया, उत्तराखंड के कांग्रेस की तरफ से बने तीन मुख्यमंत्रियों में तीन के तीनो सवर्ण वर्ग से रहे

नारायण दत्त तिवारी - ब्राहमण	
विजय बहुगुणा - ब्राहमण	
हरीश रावत - क्षत्रिय	

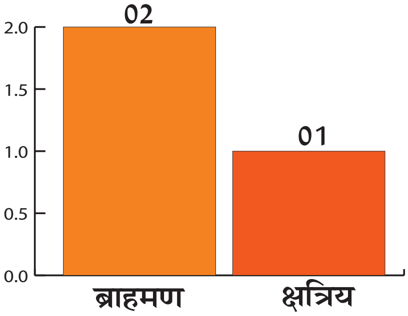

गुजरात में मुख्यमंत्रियों-

स्वतंत्रता के बाद से अब तक गुजरात में अलग अलग काल खंड में लगभग 25 सालों तक कांग्रेस सरकार रही। इन 25 सालों में गुजरात की राजनीति सवर्ण केंद्रित रही। ब्राह्मण और क्षत्रिय बारी बारी से मुख्यमंत्री पद संभालते रहे। पहली बार चिमन भाई पटेल 1973 में सात महीनों के लिए गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद पुनः सत्ता सवर्ण खेमे में रही। अमर सिंह चौधरी गुजरात के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए। कांग्रेस गुजरात में लगभग 30 सालों तक सत्ता में रही जिसमे बामुस्किल 3 साल हो गैर सवर्ण मुख्यमंत्री रहे।

कांग्रेस में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का परिणाम रहा की कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। कांग्रेस के सवर्ण नेता और वोटर भाजपा में शरण ले चुके हैं। कांग्रेस में इनकी उपेक्षा का परिणाम रहा कि इनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया जिसके परिणाम स्वरुप क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। देश में लगभग 85 प्रतिशत आबादी दलितों, पिछड़ों और अप्ल्संख्यकों की है जिनके बगैर सत्ता की सीधी चढ़ना मुस्किल ही नहीं नामुमकिन है। कांग्रेस ने इनको फिर से जोड़ने की रणनीति बनाई और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया। ▪

संपादकीय का शेष ...

भुगतना पड़ेगा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस मंसा से आरक्षण दिया गया था उसे इंडियन मानस तक कभी पहुंचने/जानने नहीं दिया गया। बल्कि योग्यता/प्रतिभा हनन, अयोग्य डॉक्टर जैसे जाने-अनजाने कितने मुहावरे/नैरेटिव गढ़े गए कि आरक्षण से फायदा लेने वाले भी उसके पक्ष में मुहावरे नहीं गढ़ पाए। और हद तो तब हो गई, जब ओबीसी की 54 से 60% आबादी को 27 जब की सवर्णों की 8 से 10% आबादी को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया।

यहां यह समझना लाजिमी है कि अगर आरक्षण न दिया गया होता तो और पूना पैक्ट ना हुआ होता तो भारत में एससी-एसटी की स्थिति क्या होती? यह ध्यान देने योग्य बात है कि एससी की स्थिति केवल हिंदू व्यवस्था या सिख व्यवस्था में है। इस्लाम या इसाई बनने के बाद एससी की व्यवस्था लागू नहीं होती है। क्योंकि एससी होने के मूल में स्थित छुआछूत या हिंदू समाज की इस तरह की कुरीतियां इसाई या इस्लाम में नहीं हैं/थी। डॉक्टर अंबेडकर मरने से पहले भले ही बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन उन्होंने छुआछूत की बीमारी के कारण अपने को खुद डॉक्टर बनाया और लोगों को कोई भी धर्म अपनाने से मना नहीं किया। यदि आरक्षण ना होता तो क्या एससी की आबादी अपना नया धर्म ना बना लेती? या किसी भी धर्म की ओर जा सकती थी। यही हाल एसटी का भी था। ओबीसी की हालात इस मामले में अलग है, क्योंकि ओबीसी की अपने आप में वह केमिस्ट्री नहीं बनती जो इंडियन सोसाइटी में एससी की है और हाशिये पर रहते हुए मुख्य धारा से अलग-थलग और अछूत वह नहीं था। उससे बढ़कर वह, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल से कभी अलग नहीं हो सका और ओबीसी आरक्षण की अपनी लड़ाई भी खुद नहीं लड़ा, लेकिन अगर यह समाज भी कभी जगा और अपनी गणना करने/कराने में सफल हो सका तो विषमतावादी इंडियन सामाजिक व्यवस्था के परखच्चे उड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए ऐसा समझ जाना चाहिए कि आरक्षण इंडियन समाज के वर्चस्व स्थापित सवर्णों के हित में ज्यादा है और इसे मन से, वाणी से, कर्म से लागू करने का माहौल बनाना भी सवर्णों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वरना परिवर्तन पीड़ादायक भी हो सकता है और खतरनाक भी।

कांग्रेस का पिछड़ा प्रेम कहीं छलावा तो नही?

कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है वहां जाति जनगणना 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए तो कांग्रेस या राहुल गांधी की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है । क्योंकि 89 कैबिनेट सेक्रेटरी में से ओबीसी के सिर्फ तीन सेक्रेटरी का जब सवाल राहुल गांधी ने उठाया था उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव हुआ तो सवर्ण जाति को 52% से 53% टिकट दिया और पिछड़ों को 25 से 26% तक की टिकट दिया था।

▪ **अरविंद कुमार यादव**

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी रही है लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 के बाद लागू होने पर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ठीक से लागू नहीं हुई|

कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 2004 से 2014 तक कितने सवर्ण जातियों के मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल भेजा था या आय से अधिक संपत्ति में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछड़े दलित आदिवासी कांग्रेस से पूछना चाहिए। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर एनएफएस नहीं किया जाता था ? क्या पिछड़ों की सीटों अलग से बैकलाग निकाला जाता था? क्या केंद्र सरकार में पिछड़ों के खाली पदों पर सवर्ण को नहीं भरा जाता था ?या क्या पिछड़ों की खाली सीटों छोड़ दिया नहीं जाता था।? यह सब बड़ा सवाल बनता है।

कांग्रेस से यह सवाल होना चाहिए कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई पिछड़े दलित मुख्यमंत्रियों उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती तथा बिहार से कर्पूरी ठाकुर, बी पी मंडल, लालू प्रसाद यादव और झारखंड से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या तमिलनाडु से करुनानिधि और स्टालिन की तरह भूमिका पिछड़ों को उनका हक और अधिकार दिलाने के संघर्ष करना चाहते है? क्या कांग्रेस पिछड़ों के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं?

क्या राहुल गांधी पिछड़ों को तमिलनाडु की तर्ज पर उनको उनका हक अधिकार दिलाना चाहते हैं? सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए पिछड़ों का उपयोग करके उसे सत्ता की पाना चाहते हैं। क्योंकि वह पिछड़ों दलितों को अलग चस्मे से कैसे देख सकते हैं? जो सत्ता में रहने पर नहीं देखा है अब तक।लेकिन सत्ता में से बाहर होने पर देखने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ

> “ 2021 की जनगणना का पता ही नहीं तो जाति जनगणना दूर की कौड़ी है। देश में 1881 से लगातार प्रति 10 वर्षों पर जनगणना होती आ रही है। पिछली बार जन गणना वर्ष 2011 में हुई थी। इस बार की गणना 2021 में प्रस्तावित थी लेकिन जनगणना वर्ष के बीते हुए 3 साल से अधिक समय होने जा रहा है। अभी तक जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से मौन है। इधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना को मुद्दा बनाया जा रहा है। जब आम जनगणना का पता ही नहीं तो जाति जनगणना कैसे होगी। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और मालवी में गणना पहले ही हो चुकी है, उन्होंने अपने आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं। ”

राहुल यादव
युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

पिछड़ी जातियों के नाम का राग अलापना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस का पिछड़ों के प्रति छलावा तो नहीं है? यह भविष्य के गर्त से बाहर निकलने पर ही पिछड़े दलित आदिवासी समाज को देखने को मिलेगा। पहले से राहुल गांधी और कांग्रेस पर भरोसा करना पिछड़ों दलितों आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा तो नहीं सिद्ध होगा जैसे भाजपा ने पिछड़े के नाम पर मोदी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था? मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने पर सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दिया गया कि हम जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे। पिछड़ों को पता नहीं चल पाया था कि मोदी की जाति सवर्ण जातियों में थी। 1994 में कांग्रेस की गुजरात सरकार ने मोदी घांची सवर्ण बनिया को पिछड़ी जाति का बनिया बनाया गया था।

इसलिए पिछड़ों के थिंक टैंक को सावधान रहना चाहिए क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के जो थिंक टैंक है जो इन्हें सत्ता में लाना चाहता है। वह दो थिंक टैंक नहीं बल्कि एक ही थिंक टैंक है। वह कांग्रेसी और भाजपाई को छोड़कर क्षत्रिय दलो के पिछड़े दलित आदिवासी मुख्यमंत्रियों को ईवीएम मशीन से सत्ता से बाहर तो नहीं धकेल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो विचारधारा 2014 मे मोदी को पिछड़ा बनाकर पीएम बनाया था वहीं अब राहुल गांधी को पिछड़ों दलित आदिवासियो का सबसे बड़ा हितैसी और संघर्ष करने वाले महानायक बनाकर पीएम तो नहीं बनाना चाहते है। भविष्य के गर्त में छुपी राजनीति पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के राजनीतिक विश्लेषकों की समझ को हैरत में डालती हैं। ▪

यदि जाति जनगणना भारत में होती है तो सवर्ण जातियों की आबादी 16% पिछडी जातियों की आबादी आबादी 60% अनुसूचित जातियों की आबादी 16% और आदिवासियों की आबादी 8% होती है। इस प्रकार को जाति जनगणना का आंकड़ा आ सकता है तो आरक्षण जाति के आधार पर ही होना चाहिए। संविधान सम्मत आरक्षण की मूल भावना है और आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता यह सिर्फ जाति आधार पर होता है क्योंकि छुआछूत भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं होता है। सिर्फ जाति के आधार पर होता है और जातियां सभी धर्मो में पाई जाती है। इसलिए आरक्षण की मूल भावना के अनुसार 100% आरक्षण जातिगत लागू होना चाहिए जिसमें 50% पुरुष और 50% महिलाओं का आरक्षण जाति के आधार पर सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में लागू किया जाना चाहिए।तभी देश में समानता समता और सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता हैं। जिससे जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत और भेदभाव को 30 से 40 वर्षों में आसानी से समाप्त किया जा सके। तभी भारत विकसित देश बन सकता है। क्योंकि विकासित देशो में छुआ छूत और भेद भाव जाति के आधार पर नहीं पाया जाता है। अमरीका जैसे देश में नस्लीय (गोरे और काले)आधार पर भेद-भाव और छुआ छूत पाया गया था जिसे सुधार करने के लिए गोरे और काले दोनो नश्लो को संख्या के आधार पर आरक्षण एफरमेटिव एक्सन के रुप में 100% आवादी के अनुपात में सैकड़ों वर्ष पूर्व मे लागू किया जा चुका है जिसके कारण अमरीका आज दुनिया के विकसित देशों में शीर्ष स्थान पर है।

यदि ऐसे आंकड़े आते हैं तो भागीदारी का एक नमूना -

आरक्षण 100% 50% पु. + 50% म.	सवर्ण जाति 16% 8% पु. + 8% म.	पिछड़ी जाति 60% 30% पु. + 30% म.	अनुसूचित जाति 16% 8% पु. + 8% म.	अनुसूचित जनजाति 8% 4% पु. + 4% म.
सृजित पद 100% 50% पु. + 50% म.	8% पु. + 8% म.	30% पु. + 30% म.	8% पु. + 8% म.	4% पु. + 4% म.
कार्यरत पद 50 25% पु. + 25% म.	4% पु. + 4% म.	15% पु. + 15% म.	4% पु. + 4% म.	2% पु. + 2% म.
रिक्त पद 50 25% पु. + 25% म.	4% पु. + 4% म.	15% पु. + 15% म.	4% पु. + 4% म.	2% पु. + 2% म.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का मंडल ऑडिट

सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर डटी हुई कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर कितनी खरी है इसको लेकर इस बार बसावन इंडिया ने देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर मंडल आडिट किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या कांग्रेस सचमुच सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गंभीर है? कांग्रेस के शुरूआती दिनों में कांग्रेस में सवर्ण वर्चस्व हुआ करता था। कांग्रेस की बागडोर युवा हाथों में आने से कितना फर्क पड़ा है इसको लेकर इस बार की आडिट है। क्या कांग्रेस दलित पिछड़े वर्ग के वे युवा जो अपने भविष्य को लेकर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनको लेकर कितनी गंभीर है।

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की सूची

1.	आंध्र प्रदेश वाई.एस शर्मीला	सवर्ण
2.	बिहार अखिलेश प्रसाद सिंह	सवर्ण
3.	गोवा अमित पाटकर	सवर्ण
4.	गुजरात शक्ति सिंह गोहिल	सवर्ण
5.	हिमांचल प्रदेश प्रतिभा सिंह	सवर्ण
6.	कर्नाटक डी के शिवाकुमार	सवर्ण
7.	उडीसा शरत पटनायक	सवर्ण
8.	पंजाब अमरिंदर सिंह राजा	सवर्ण
9.	तेलंगाना अनुमुला रेवान्नाथ रेड्डी	सवर्ण
10.	उत्तर प्रदेश अजय राय	सवर्ण
11.	उत्तराखंड कारन महारा	सवर्ण
12.	पश्चिम बंगाल अधीर रंजन चौधरी	सवर्ण
13.	असम भूपेन कुमार बोरह	ओबीसी
14.	केरल के सुधाकरन	ओबीसी
15.	मध्य प्रदेश जीतू पटवारी	ओबीसी
16.	महाराष्ट्र नाना पटोले	ओबीसी
17.	मणिपुर के मेघचंद्र सिंह	ओबीसी
18.	राजस्थान गोविन्द सिंह दोतासरा	ओबीसी
19.	त्रिपुरा आशीष कुमार साहा	ओबीसी
20.	झारखण्ड केशव महतो	ओबीसी
21.	अरुणाचल प्रदेश नाबाम तुकी	अनुसूचित जनजाति
22.	छत्तीसगढ़ दीपक बैज	अनुसूचित जनजाति
23.	मेघालय विन्सेंट पाला	अनुसूचित जनजाति
24.	मिजोरम पु लालसावता	अनुसूचित जनजाति
25.	नागालैंड ख्रीदी थेनुओ	अनुसूचित जनजाति
26.	सिक्किम गोपाल छेत्री	अनुसूचित जनजाति
27.	हरियाणा उदय भान	अनुसूचित जाति
28.	तमिलनाडु के सेल्वापेरूथान्गई	अनुसूचित जाति

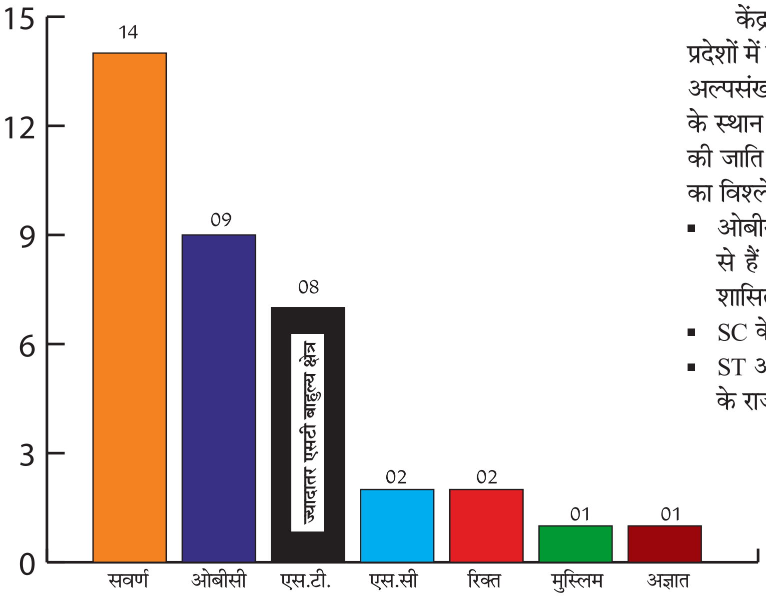

केंद्र शासित प्रदेश

1.	अंदमान निकोबार रंगलाला हल्दर	ओबीसी
2.	चंडीगढ़ हरमोहिंदर सिंह	सवर्ण
3.	दादरा और नगर हवेली दमन व दीउ	रिक्त
4.	दिल्ली अरविन्द सिंह लकी	सवर्ण
5.	जम्मू-कश्मीर तारिक हमीद कर्रा	मुस्लिम
6.	लद्दाख नवांग रिगजिन जोरा	अनुसूचित जनजाति
7.	लक्षदीप	रिक्त
8.	पुडुचेरी वी वैथ्लिंगम	अज्ञात

देश के 28 राज्यों में से 12 प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण जातियों से आते हैं। 8 प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी जाति से हैं। 6 प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जन जाति से और दो अनुसूचित जाति से हैं। देश के 28 राज्यों में कोई येसा राज्य नहीं है जहाँ का प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम हो|

केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दो सवर्ण, एक ओबीसी, एक अनुसूचित जाति, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के स्थान रिक्त हैं। पुडुचेरी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वी वैथ्लिंगम की जाति हम नहीं पता कर पाए| प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की सूची का विश्लेषण करने पर तथ्य सामने आते हैं

- ओबीसी के डेढ़ गुना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अपर कास्ट जातियों से हैं जबकि ओबीसी की जनसँख्या के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 होने चाहिए
- SC केवल 2 हैं होने चाहिए थे 5
- ST अध्यक्ष उन जगहों पर हैं जहाँ ST की आबादी अधिक है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ST आबादी त्रिपुरा को छोड़कर 98 से 100% है इसलिए वहां अध्यक्ष बनाए का सवाल ही नहीं उठता है।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर कर किसी भी मुस्लिम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। ▪

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम अरौद, पो.गिरौद, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

2024 के आम चुनावों के दौरान जाति आधारित जनगणना विपक्षी दलों का एक प्रमुख मुद्दा रहा, बसावन इंडिया अपने प्रवेशांक से ही देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बसावन इंडिया के जाति आधारित जनगणना की मुहीम रंग लायी, आज देश में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। अब जबकि आरक्षण और भागीदारी की बात आती है तो जाति आधारित जनगणना की भी बात की जाती है क्यों कि बिना जाति आधारित जनगणना के आकड़ों के ईमानदारी पूर्वक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

जाति आधारित जनगणना की अगली कड़ी में बसावन इंडिया अपने इस अंक के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम अरौद की जनगणना का प्रकाशन कर रही है। जाति आधारित जनगणना की इस रिपोर्ट को बसावन इंडिया के सह संपादक डॉ नरेश साहू ने तैयार किया है।

तेली(साहू)	1150	ओबीसी - 1320
राउत(यादव)	124	
कुम्हार(चक्रधारी)	16	
नाई	16	
लोहार(विश्वकर्मा)	14	
मोची	08	एससी-08
हल्बा	14	एसटी-20
नागरची	15	
क्षत्रिय	12	सवर्ण-12
कुल जनसंख्या(योग)	1369	

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं।

यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए।

बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा। ▪

डॉ. नरेश साहू
मो.न.- 99211 10844

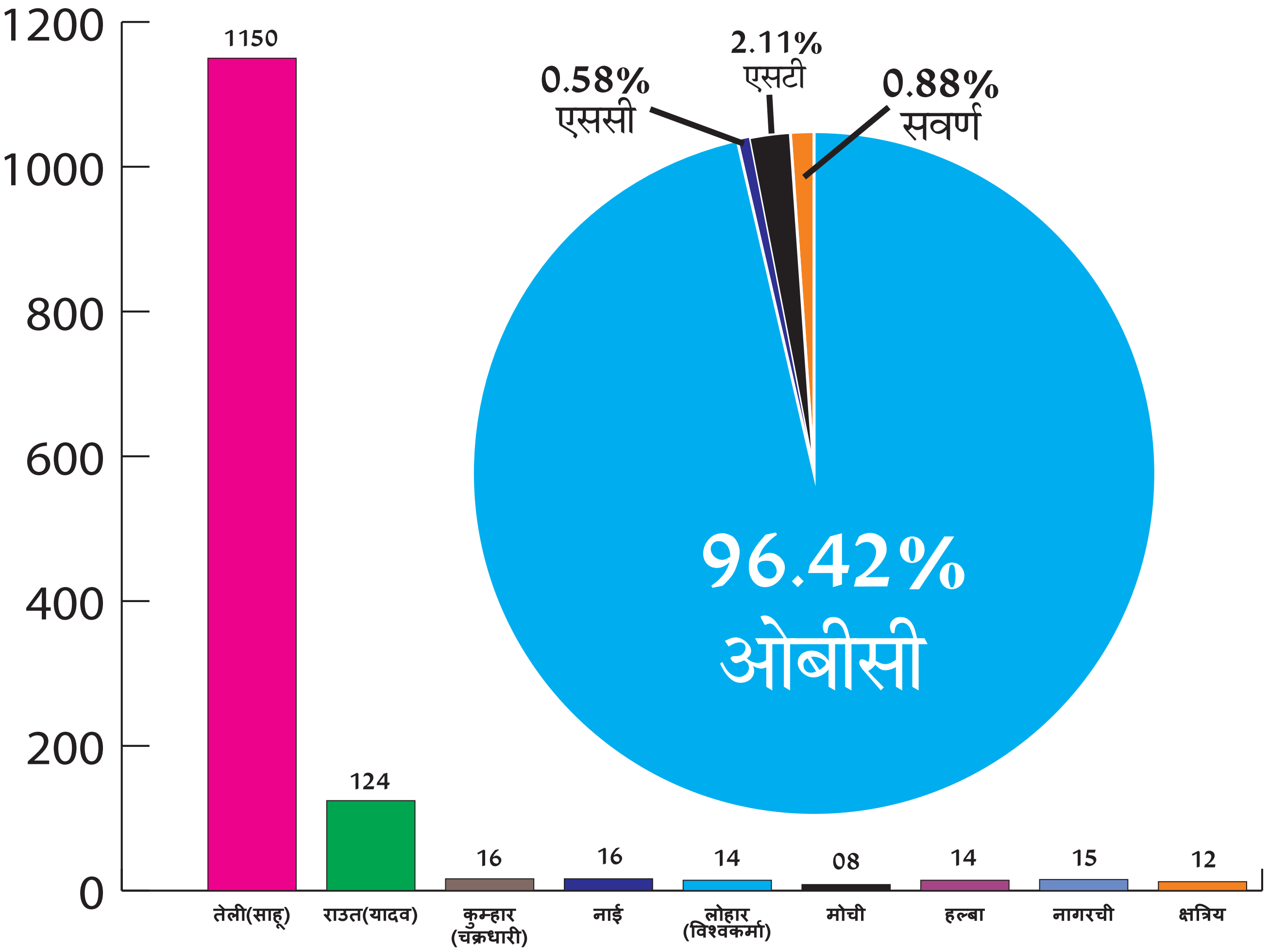

ग्राम अरौद, पो.गिरौद, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण बना तख्तापलट का कारण

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बढ़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी।

बांग्लादेश में प्रदर्शन जुलाई के आरंभ में शुरू हुए वहां यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में 'स्वतंत्रता सेनानियों' के आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्तियुद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्तियोद्धाओं के परिवारों के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

1 जुलाई को वहां छात्रों ने धरना देना शुरू किया, मगर शेख हसीना ने प्रदर्शनों को खारिज करते हुए कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यह आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई। इसके दो दिन बाद, 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में एक तिहाई आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वह इस आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते रहे। सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी और बढ़ती गई।

बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला

1971 के स्वतंत्रता संग्राम के 'स्वतंत्रता सेनानियों' के बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण देने का फैसला त्रुटिपूर्ण था, जिसमे बांग्लादेश के सम्पन्न और प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए थे, बांग्लादेश की बहुसंख्यक जनसंख्या इसके लाभ से वंचित थी जिसके कारण यह आन्दोलन सिर्फ छात्रों का आन्दोलन नहीं रह गया, यह आम जन का आन्दोलन बन गया। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल बहुसंख्यक जनसंख्या जो बांग्लादेश के निम्न तबके से आती है आन्दोलनकारियों में अपना नाम दर्ज करवाने में असफल रही जैसा कि इंडिया में समाज के निम्न तबके के लोग स्वत्रंत्रता सेनानियों में अपना नाम नहीं दर्ज करवाए, जिनके साथ दोहरी बेमानी हुई जो इतिहास की किताबों से गायब रहे/ कर दिए गये।

स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण का औचित्य

बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी स्वत्रंत्रता सेनानी आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए, भारतीय संदर्भ में बात की जाय तो देश की स्वत्रंत्रता के लगभग 80 साल हो रहे है, अब तक लगभग चार/ पांच पीढियां बीत गयी है लेकिन स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण दिया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण में इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि इस आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिल रहा है कि नहीं। ▪

तमिलनाडु में जातिगत नाम से खुले स्कूलों से जाति हटेगी तो धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं लगाएंगे छात्र

तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना, जिसके स्कूल के छात्र धार्मिक प्रतीकों से मुक्त होंगें, इससे तमिलनाडु के छात्रों में जातिवादी सोच में कमी आएगी। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दलित भाई -बहन के साथ ऊंची जाति के छात्रों द्वारा की गई| मारपीट की घटना के बाद डीएमके की स्टैलिन सरकार ने रिटायर जस्टिस के चंदू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने वहां के छात्रों के में बढ़ रहे जातिवाद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ महत्वपूर्ण सुझाए दिए हैं।

रिटायर जस्टिस के चंदू जी की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने तमिलनाडु सरकार से सिफारिश किया है कि प्रदेश के विद्यालयों में जहां भी स्कूलों के नाम में जाति जुड़ी हो उसे खत्म किया जाए। कमेटी ने यह भी सिफारिश किया है कि छात्र आदि किसी भी तरह के जातीय या धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगाकर न आएं। स्कूलों में रोली, टीका, धार्मिक बैंड, अंगूठी आदि का प्रयोग वर्जित हो।

तमिलनाडु की डीएमके की स्टैलिन सरकार पेरियार रामास्वामी की नीतियों की प्रबल समर्थक है जो वैज्ञानिक और समतावादी सोच की अनुगामी है। जो लगातार देश में वैज्ञानिक, तार्किक और समतावादी वैचारिकी पर काम कम कर रही है, वर्ष 2021 में डीएमके की स्टैलिन सरकारने तमिलनाडु के मंदिरों में गैर ब्राहमण पुजारियों की नियुक्ति कर क्रन्तिकारी कदम उठाया था। ▪

प्रदर्शनरत ओबीसी अभ्यार्थी

उत्तर प्रदेश सरकार के गले की फांस बना - 69 हज़ार शिक्षक भर्ती घोटाला

69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला प्रदेश की योगी सरकार और उनके मंत्रियों खासकर ओबीसी और एससी/एसटी वर्ग से आने वाले मंत्रियों के गले की फ़ांस बन गया है। वैसे तो पूरे देश में नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे घपले से आरक्षित वर्ग के युवाओं में आक्रोश है, लेकिन 69 हज़ार शिक्षक भर्ती घोटाला देश के बड़े नौकरी घोटालों में शामिल है जिसमे इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जिले इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो जजों की लखनऊ बेंच ने अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है।

क्या था घोटाला

50.50% अनरिजर्व और 49.50% रिजर्व सीट होती है। 50% की खुली सीटों पर, अनारक्षित कट ऑफ (67.11) से ऊपर लगभग 28000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हो रहे थे, लेकिन वहां पर मात्र 13007 ओबीसी अभ्यर्थियों को (ओवरलैप) सिलेक्ट किया गया, उसके बाद ओबीसी का कोटा 27% (18598) में मात्र 2637 ओबीसी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया। 27% ओबीसी कोटा की जगह 3.68% आरक्षण लागु किया गया, एससी वर्ग की भी 4% नौकरियां चुरा ली गयी| वर्ष 2021 में चुनाव निकट जान कर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर लीपा पोती करने का प्रयास किया| सरकार ने भर्ती में घोटाले की बात तो मान ली लेकिन आरक्षित वर्ग के 6000 कैंडिडेट को नौकरी देकर लीपापोती कर रही है जब की चोरी 18000 पदों की हुई है। सरकार ने इस भर्ती घोटाले को सिर्फ विसंगति माना है जब कि यह आरक्षित पदों के चोरी की सुनियोजित साजिश है। सरकार साजिशकर्ताओं को बचने का प्रयास कर रही है। बसावन इंडिया इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित कर चुकी है।

फंस गया है पेंच

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के लगातार आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी जहाँ सरकार और ओबीसी मंत्रियों पर जल्दी से जल्दी ज्वायनिंग का दबाव बना रहें हैं वहीँ अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्यार्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ▪

नि:शुल्क छात्रावास के लिए दी गई जमीन

पिछड़ों में भी अब पे बैक टू सोसाइटी

पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ऑल इंडिया यादव महासभा को पांच बिस्वा जमीन देने की घोषणा हरिवंश प्रसाद राय ने की उन्होंने कहा कि इस जमीन पर ऑल इंडिया यादव महासभा के कार्यालय, निः शुल्क छात्रावास, पुस्तकालय, भाषण सभागार आदि मल्टीपरपस भवन निर्माण किया जाएगा।

हरिवंश प्रसाद राय के इस फैसले का स्वागत करते हुए यादव महासभा के मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष जवाहर लाल राय ने कहा कि उनके इस फैसले और त्याग से समाज के कमजोर लोगो के लिए अवसर उपलब्ध होंगें। समाज के मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

पिछड़े समाज के लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी का कांसेप्ट अपना लिया है। धीरे धीरे और भी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे । आपसी सहयोग के यहां निर्माण कार्यों को जल्दी ही शुरू कराया जायेगा। ▪

एनएफएस : आरक्षण पर घात

देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। विश्वविद्यालयों की साक्षात्कार समितियों में अधिकतम एक्सपर्ट सवर्ण प्रोफेसर होते हैं. इसलिए वे बड़ी आसानी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे की सीट को None Found Suitable कर देते हैं.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज 21 दिसंबर 2023 को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन जारी करता है। इसमें इतिहास के 01 (SC), अंग्रेजी के 01 (UR), राजनीति विज्ञान के 01 (OBC-NCL), विधि के 01 (UR) एवं 01 (SC) और समाजशास्त्र के 01 (UR) पद होते हैं, जिसके आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 निर्धारित की गई थी.

इतिहास	01 (SC)	एनएफएस
अंग्रेजी	01 (UR)	चयनित
राजनीति विज्ञान	01 (OBC-NCL)	चयनित
विधि	01(UR), 01(SC)	चयनित
समाजशास्त्र	01 (UR)	चयनित

विश्वविद्यालय ने कुल 6 पदों का विज्ञापन निकाला था, जिसमें 5 पद पर चयन किया गया और एक मनुवादी सूत्र के तहत एनएफएस कर दिया गया। जो पद एनएफएस किया गया, वह इतिहास विषय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था. इस पद पर अनुसूचित जाति के 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. सर्वविदित है कि साक्षात्कार में जाति, जनेऊ, जुगाड़ एवं रिश्वत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन 15 अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराते हुए साक्षात्कार समिति ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद को एनएफएस कर दिया।

जब तक विश्वविद्यालयों की साक्षात्कार समितियों से एनएफएस करने का ठोस कारण नहीं माँगा जाएगा तब तक वे इसी तरह पिछड़े, दलित एवं आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों को एनएफएस करते रहेंगे.

हैरानी की बात यह है कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने इतिहास विषय में दलित समाज के लिए आरक्षित 01 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को 20 दिन के भीतर दो बार नॉट फाउंड सूटेबल करने का काम किया है। विश्वविद्यालय की साक्षात्कार समिति ने पहली बार स्थायी सीट को NFS किया तो दूसरी बार अस्थायी.

अभी हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में ओबीसी के प्रोफेसर पद को नॉट फाउंड सूटेबल घोषित किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार मालवीय ने बताया कि "सन 2024 में ओबीसी वर्ग में सिंगल एलिजिबल होने के कारण प्रोफेसर पद पर मेरा साक्षात्कार नहीं लिया गया था. इसका कारण यह है कि ओबीसी कोटे में आयी यह प्रोफेसर पद की सीट दो बार NFS करने पर सामान्य वर्ग में बदल जाती है। ▪

डॉ. दिनेश पाल
असि. प्रो. जे. बी. वि. वि.

"किसी शिक्षण संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में NFS घोटाला के तहत 2-3 सीटें SC/ST/OBC की खाली रख ली जाती हैं तो हमलोग कई दिन तक लिखते रहते हैं लेकिन बिहार में बैकलॉग की कुल 614 सीटें, जिसमें SC की 238, ST की 15, EBC की 178 एवं WBC की 183 सीटें काटकर UR, EWS एवं BC में जोड़ दी गईं, फिर भी लोग बोल नहीं रहे हैं। एससी, एसटी एवं ईबीसी के कुछ लोगों ने अपनी सीट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है लेकिन बहाली प्रक्रिया रोकने की बजाय बिहार सरकार और तेजी निपटाने में लगी है।"

प्रोफेसर विक्रम
इलाहबाद विश्वविद्यालय

आखिर क्या कारण है कि केंद्र एवं राज्य की सरकारें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों को लगातार एनएफएस कर रही है? क्या पिछड़े, दलित और आदिवासी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एवं प्रोफेसर पद पर चयनित होने के योग्य नहीं हैं? क्या भारत के विश्वविद्यालय सिर्फ सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों में ही प्रतिभा उत्पन्न कर पा रहे हैं? ऐसे सवालों पर विचार करना और उनका समाधान ढूंढना 21वीं सदी के भारत की उपलब्धि होगी।

डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव
मो. 8726531007

आम चुनाव : यूपी वालों का सामाजिक न्याय

देश में 1951 52 में हुए पहले आम चुनावों से लेकर अब तक हुए चुनावों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व लोकसभा चुनाव में बहुत निराशाजनक रहा है, जिससे कि भारतीय संविधान का सामाजिक न्याय का पहलू मृग मरीचिका प्रतीत होता दिख रहा है फिर भी धीरे धीरे आई सामाजिक न्याय चेतन से जनता 2024 के संसदीय चुनाव में कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिली है। **वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों द्वारा चुने गए ओबीसी सदस्यों का विवरण एवं चर्चा-**

18 वीं लोकसभा में ओबीसी की कुल उत्तर प्रदेश में 24 सदस्यों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला जिसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के 20 सदस्य हैं। यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा सीटों का 42.5% ओबीसी प्रतिदिन समाजवादी पार्टी द्वारा सदन में भेजे गए हैं।

	एनडीए	इण्डिया	अन्य	योग
ओबीसी	13	21	0	**34**
सवर्ण	15	8	0	**23**
दलित	08	9	1	**18**
मुस्लिम	0	5	0	**5**
कुल	**36**	**43**	**1**	**80**

जहां 17वीं लोकसभा में ओबीसी सदस्यों का प्रतिशत 35 था वही 18वीं लोकसभा में ओबीसी 42% चुनकर भेजे गए लेकिन लोकसभा में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बढ़ाने का प्रमुख ओबीसी वर्ग के अंदर आई सामाजिक न्याय की अवधारणा है ओबीसी वर्ग के लिए यह राहत भरी खबर है वही नव चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भरा कार्य है।

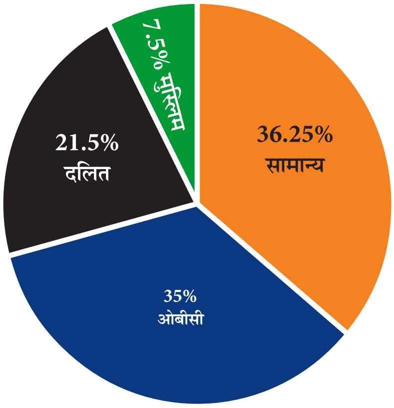

17 वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व

18वीं लोकसभा 2024 में ओबीसी लोकसभा सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही है जिसमें कुल 20 ओबीसी नेता सदन तक पहुंचे जहां पिछले

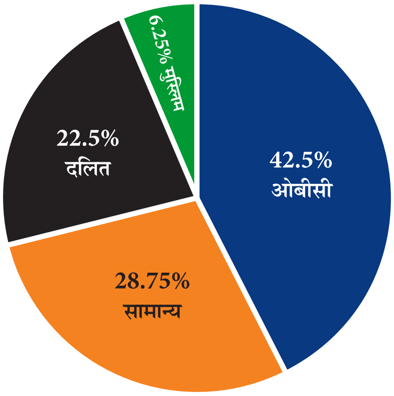

18 वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व

संसदीय चुनाव में सपा से केवल दो ओबीसी सदस्य ही सदन पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आशा के विपरीत रहा जिसमें ओबीसी की केवल 13 सदस्य ही सदन पहुंचे वहीं बीजेपी से सवर्ण वर्ग से 15 सदस्य सदन में पहुंचे

सवर्ण की सबसे ज्यादा 15 फिर ओबीसी की 13 दलित के आठ व मुस्लिम शून्य सदस्य 2014 24 लोक सभा सदस्य बने

समाजवादी पार्टी का प्रयोग

2024 लोकसभा की सबसे अनोखा प्रयोग सपा का पीडीएफ फार्मूला रहा की 20 सदस्य जीते दी 814 जिसको आपने प्रयोग द्वारा अखिलेश यादव ने सफल सिद्ध किया दूसरा प्रयोग सामान्य सीट पर यह sc प्रत्याशी के लिए था उदाहरण के तौर पर अयोध्या से अवधेश प्रसाद और मेरठ से सुनीता वर्मा रहे अयोध्या की सीट से समाजवादी पार्टी की जीत बहुत चर्चित रही भाजपा के लिए अच्छा छोड़ देने वाली खबर थी अवधेश प्रसाद में भाजपा के लल्लू सिंह को 50000 से अधिक मतों से हराया जबकि मेरठ से सुनीता वर्मा बीजेपी के अरुण गोविल रामायण के राम से मात्र 10000 वोट के अंतर से हारी। ▪

राधाकांत "Raky"

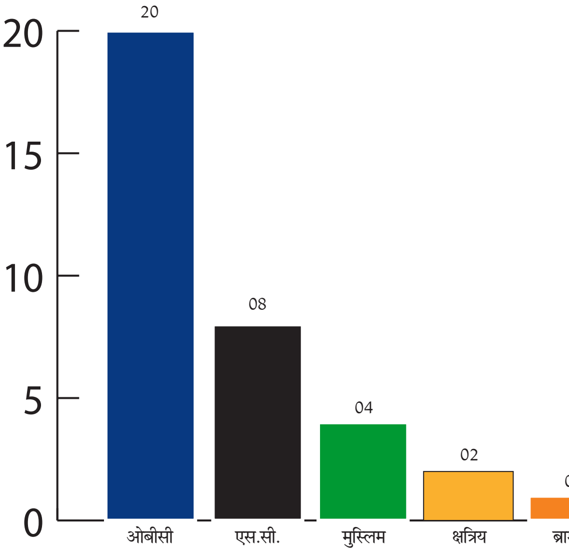

वर्ग	ओबीसी	एस.सी.	मुस्लिम	ब्राम्हण	वैश्य	भूमिहार	क्षत्रिय	कुल
सदस्य	20	08	04	01	01	01	02	37

समाजवादी पार्टी से चुने गये सांसद

लोकतंत्र को कमजोर करता धन बल

पिछले कुछ दशकों में चुनावी खर्चो में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। चुनाव के नियम कायदे अमीरो के पक्ष में ही है। मसलन गांव, खेड़ो और मोहल्लों में नुक्कड़ सभा में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। ज़मीन से जुडी पार्टियों और उनके नेताओं के लिए यह सबसे बड़ा प्रचार का साधन था जिसमे जनता के छोटे छोटे समूहों के सामने वह अपने बात रखते थे, उनसे चर्चा करते थे लेकिन अब हर छोटी सभा के लिए आयोग से अनुमति लेनी होती है। रसूखदार पार्टिया और उनके उम्मीदवार तो बड़ी बड़ी जनसभाएं करते है जिनका खर्च लाखो में आता है और एक माहौल बन जाता है। किसी से छुपा नहीं है कि इन सभाओं में भीड़ किराये की भी होती है। दीवार लेखन तो जनता की आवाज ही मानी जाती थी लेकिन यह लगभग बंद ही है। पोस्टर लगाने के लिए तमाम तरह की बंदिशें है लेकिन बड़े बड़े हॉर्डिंग और फ्लेक्स के लिए कोई बंदिश नहीं है। आकार के हिसाब से पैसे दीजिये और जितने मर्जी होर्डिंग लगाइये।

▪ **विक्रम सिंह**

कुछ तत्थ्य –

- चुनाव आयोग ने भी आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए निर्धारिक की है। कितने ही भारतियों के पास लाखो रुपये है, जो चुनाव में सरमायेदारों की राजनितिक पार्टियों के धनी उम्मीदवारों के धन और बल का सामना कर पाएं।
- हम सब जानते है प्रत्येक चुनाव में करोडो रुपये खर्च किये जाते है। चुनाव प्रचार में काले धन का भी खुल कर प्रयोग होता है। यह एक नंगा सच है जो चुनाव आयोग और चुनाव से सम्बंधित अन्य संस्थाओं को नहीं दीखता या फिर वह देखना ही नहीं चाहती। जनता तो सब जानती है। वो बात अलग है कि सब जानने के बावजूद भी धनबल से पैदा किये गए वातावरण से प्रभावित होकर उन्ही उम्मीदवारों को चुनती

"चुनावी अधिकार संगठन, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक विश्लेषण के अनुसार, 2024 लोकसभा चुनावों में जीतने वाले 93 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, जो 2019 में 88 प्रतिशत थे। इसका मतलब है कि कुल 543 विजयी उम्मीदवारों में से 504 करोड़पति हैं।

अगर पार्टीवार इसका आंकलन करे तो भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 227 (95 प्रतिशत) और कांग्रेस के 99 में से 92 (93 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इसी तरह डीएमके के 22 में से 21 (95 प्रतिशत), टीएमसी के 29 में से 27 (93 प्रतिशत), समाजवादी पार्टी के 37 में से 34 (92 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है।"

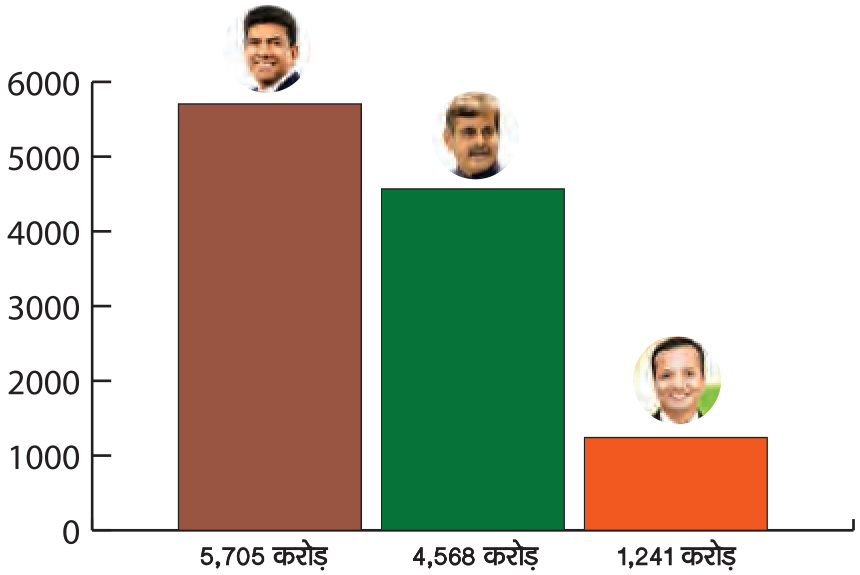

भारत के सबसे अमीर सांसद

शीर्ष तीन सबसे धनी सांसद आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के चंद्र शेखर पेम्मासानी हैं जिनकी संपति 5,705 करोड़ रुपये है, तेलंगाना के चेवेल्ला से बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जिनकी कुल संपत्ति 4,568 करोड़ रुपये है, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल जिनकी संपत्ति 1,241 करोड़ रुपये है।

है।

- भाजपा सरकार ने चुनावी बांड की व्यवस्था करके संसद लगभग अमीरों और उनकी पार्टियों के लिए आरक्षित ही कर लिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया और ख़रीदे गए सभी बांड का हिसाब जनता के सामने रखने का फैसला दिया।
- कोशिश तो पूरी की गई कि भ्रष्टाचार का यह दलदल जनता से छुपा रहे जिसका दीमक लोकतंत्र को भीतर से खा जाता लेकिन माननीय अदालत ने कॉर्पोरेट और भजपा के नापाक गठजोड़ के मंसूबो पर पानी फेर दिया।

विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सरमायेदारों की सभी राजनीतिक पार्टियां करोड़पतियों से ही भरी पड़ी है। गजब तो यह है कि आम आदमी पार्टी जो अपने को अलग और आम लोगो की राजनीती की वाहक बताती है के सभी (3) विजयी उम्मीदवार करोड़पति हैं, इसके साथ जेडीयू (12) और टीडीपी (16) के भी सभी विजयी सांसद करोड़पति हैं। विडम्बना यह है कि केवल लगभग 1% विजयी सांसदों के पास 20 लाख रुपये से कम की संपत्ति है। 99% सांसदों के पास 20 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति है तो समझा कि यह सांसद आम जन में से चुन कर नहीं आये हैं।

गालिबन यही हालात राज्यसभा के सांसदों की भी है। राज्यसभा में तो राजनैतिक पार्टियों की प्राथमिकता ज्यादा साफ़ नज़र आती है क्योंकि यहाँ उम्मीदवारों का चुनाव करते हुए जनता में जितने का दबाव नहीं होता। मार्च 2024 में राजसभा सांसदों की औसत संपत्ति 87.12 करोड़ रुपये है। इसमें भी भाजपा जो कि अब खुले तौर पर अमीरो की पार्टी है और कॉर्पोरेट के लिए नीतियां बनाती है, के सांसदों (कुल 80 सांसद) की औसत सम्पति 37. 34 करोड़ है। पिछले कुछ वर्षो में पूंजीपतियों ने अपनी क्षेत्रीय पार्टिया बनाई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनावो में जितने बड़े स्तर पर धन का प्रयोग होता है उसका एक प्रतिविम्ब वहां से आने वाले राज्य सभा सांसदों की सम्पति से चलता है। YSRCP के सांसदों की औसत सम्पति 357.68 करोड़ रुपये और TRS के सांसदों की औसत सम्पति 1383.74 करोड़ रुपये है। आम आदमी पार्टी के सांसदों की औसत सम्पति भी 114. 81 करोड़ रुपये है। राज्य सभा के कुल सांसदों में से 14% तो खरबपति है जिनकी सम्पति 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

लोकतंत्र को पैसे की ताकत से बचाने का रास्ता क्या है? इसके लिए हमारे देश में तत्काल चुनाव सुधार करने होंगे। राजनितिक पार्टियों के लिए कॉर्पोरेट चंदे पर रोक लगनी चाहिए और चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग होनी चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट्स को फंड देना चाहिए और इसे राज्य चुनावी फंड में जमा किया जाना चाहिए। इसका उपयोग राज्य के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक जरिया यह सब के लिए बराबर का मैदान तैयार करने के लिए।

इस कुचक्र से निकलने और लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए जनता की राजनैतिक चेतना का विकास बहुत जरुरी है। शिक्षा और प्रचार के साथ जनता के अपने संगठनों में संघर्षो से अर्जित अनुभव बहुत जरुरी है। अपने वर्ग के साथ अपने मुद्दों पर संघर्ष करते हुए जो वर्गीय चेतना पैदा होती है वही सामना कर पाती है चुनावों में धनबल द्वारा सृजित किये गए सम्मोहित करने वाले वातावरण का जिसमे लोग अपने सही प्रतिनिधि का चयन करते है। ▪

नाम में क्या रखा है?

प्रतिकात्मक चित्र

▪ बसावन इंडिया डेस्क

हाल में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक फरमान कि कांवड़ यात्रा मार्ग की सभी दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी होगा। इसको लेकर बवाल मचा तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने यूटर्न लेते हुए अपना आदेश बदलते हुए नाम लिखने का अधिकार दुकानदारों की मर्जी पर डाल दिया। हालांकि, इसके बाद यू-टर्न लेते हुए पुलिस प्रशासन ने अपने आदेश वाला ट्वीट ही डिलीट कर दिया, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपने नाम लिखने ही होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की निर्देश दिए हैं। अब कावड़ यात्रा यूपी के जिस भी जिले से जाएगी या निकाले जाने की परंपरा है, उन सभी यात्रा रूट पर संचालित होने वाली दुकानों पर मलिक का नाम पहचान लिखनी होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी करके इसका पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

▪ हिंदू नाम से ढाबा चला रहे मुस्लिम कारोबारियों पर कार्यवाही

इसके बाद देश की खोजी मीडिया द्वारा गहन पड़ताल कर कुछ दुकानों और ढाबों के बारे में जानकारियां जुटाई गई कि कई ऐसे दुकाने और ढाबे चल रही है जिनके संचालक/मालिक मुस्लिम है। पंजाबी शुद्ध ढाबे का मालिक वसीम, महाराज ढाबे का मालिक सादिक अली है। ऐसे दर्जनों ढाबे और चाय जलपान की दुकानें हैं जिनपर पुलिस-प्रशासन

> “खान-पान की दुकानों का नाम प्रायः बिना जाति धर्म के ही चल पाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से मणिपुर तक कहीं भी चमार चाय, भंगी भोजनालय अभी भी नही,कहीं भी नहीं चल सकता।ऐसे में लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए निरपेक्ष नामों का चलन होता है लेकिन इंडिया में कभी अनुसूचित जाति के लोगों अर्थात 1/5 आबादी को अमानवीय भेदभाव तक पहुंचाया जो अब मुसलमानों के साथ आजमाने का प्रयास किया जा रहा है।
>
> **- प्रो. विक्रम इला. वि.वि.**”

न तेरा है न मेरा है
ये हिन्दुस्तान सबका है।
नहीं समझी गई ये बात
वो नुकसान सबका है।

हजारों रास्ते खोजे गये
उस तक पहुँचने के
मगर पहुँचे हुए ये कह गए
भगवान सबका है।

जो इसमें मिल गई नदियों
वो दिखलाई नहीं देती
महासागर बनाने में
मगर एहसान सबका है।

हजारों रंग खुशबू-नस्ल के
फल-फूल पौधे हैं
मंगर गुलशन की
इज्जत-आबरू-ईमान सबका है

अजन्ता ताज-खजुराहो
बुजुर्गों की निशानी है
जो दुनिया दे रही सम्मान
वह सम्मान सबका है।

जरा से प्यार को दुनिया की
हर झोली तरसती है।
मुकद्दर अपना-अपना है
मगर अरमान सबका है।

- उदय प्रताप सिंह (कवि जी)

▪ मुस्लिम नाम से स्लाटर हॉउस चला रहे

सारा झगडा नाम को लेकर है, मुस्लिम दूकानदार हिंदू नामों से व्यवसाय क्यों चला रहे हैं लेकिन उनका क्या जो मुस्लिम नामों से बूचड़खाना चला रहे हैं और जिनके मालिक हिंदू हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि बूचड़खानों के संचालक मुस्लिम लोगों के हाथ में हैं, लेकिन आज बहुत सी येसी मांस निर्यातक फैक्ट्रियां हैं जो मुस्लिम नामों से से संचालित हो रही हैं और जिनके मालिक हिंदू हैं। इसके आलावा अब हिंदू भी इस धंधे में शामिल हो चुके हैं। अल कबीर एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लमिटेड, एमकेआर फ्रोज़न फ़ूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एमकेआर फ्रोज़न फ़ूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अल नूर एक्सपोर्ट्स, एओवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंडर्ड फ्रोज़न फ़ूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र फ़ूड्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, कनक ट्रेडर्स सहित कई अन्य मांस उधोग से कंपनिया हैं जो मांस उधोग से जुडी हुई हैं और जिनके मालिक हिंदू हैं।

- अल कबीर एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक ज़िले में रूद्रम गांव में है। इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं। यह बूचड़खाना अल कबीर एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है।
- अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लमिटेड के मालिक सुनील कपूर हैं। कंपनी बीफ़ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में विरनत नागनाथ कुडमुले, विकास मारुति शिंदे और अशोक नारंग हैं।
- एमकेआर फ्रोज़न फ़ूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मदन एबट हैं। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबट कोल्ड स्टोरेजेज़ प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली ज़िले के समगौली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबट हैं।
- अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद हैं इसका बूचड़खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर के शेरनगर गांव में है।
- एओवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक ओपी अरोड़ा हैं। यह मुख्य रूप से बीफ़ निर्यात करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। अभिषेक अरोड़ा एओवी एग्रो फ़ूड्स के निदेशक हैं।
- स्टैंडर्ड फ्रोज़न फ़ूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमल वर्मा हैं। इस कंपनी का बूचड़खाना और सयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है
- पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के निदेशक एस सास्ति कुमार हैं। यह कंपनी बीफ़ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस के व्यवसाय में भी है।
- अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बूचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। कंपनी के निदेशक के राजेंद्रन हैं।
- महाराष्ट्र फ़ूड्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सन्नी खट्टर हैं।
- कनक ट्रेडर्स ऐसी ही एक कंपनी है। इसके प्रोप्राइटर राजेश स्वामी हैं

मांस निर्यातक कंपनियों से चंदा लेने से परहेज नहीं।

निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष 2013-2014 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भैंस के मीट को निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपये का दान प्राप्त किया, कंपनियों ने यह पैसा लोकसभा चुनाव के दौरान दिया दान देने वाली कंपनियां फ्रिगोरिफिको अल्लाना लिमिटेड, फ्रिगिरियो कन्सवा अल्लाना लिमिटेड और इंडाग्र फूड्स लिमिटेड हैं। साल 2014-2015 में फ्रिगोरिफिको अलाना लिमिटेड ने पार्टी फंड में 50 लाख जमा कराए। यह लेनदेन विजया बैंक के माध्यम से किया गया अलानसंस भैंस मीट के निर्यात में एक अग्रणी कंपनी है।

11 जनवरी 2019 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना ग्रुप के परिसरों पर छापेमारी की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि दो दिनों से अधिक समय तक 100 से ज्यादा इकाइयों पर रेड मारी गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अल्लानासन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ के दो बॉण्ड और 9 अक्टूबर को 1 करोड़ रूपये के बॉण्ड खरीदे।

इससे जुड़ी फ्रिगोरिफिको अल्लाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ के बॉण्ड, फ्रिगेरियो कंजर्वा अल्लाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ का एक बॉण्ड जबकि तीसरी कंपनी अल्लाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रूपये का एक बॉण्ड खरीदा। इस तरह कंपनी ने कुल 7 करोड़ रूपये का चंदा दिया।

ने कार्रवाई की है।

क्या कहा विपक्ष ने -

यूपी पुलिस के इस फरमान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे आदेश सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुजफ्फनगर पुलिस के इस आदेश पर सवाल खड़ा किया है। ▪

क्या है देश में आरक्षण की स्थिति

देश में आरक्षण (रिजर्वेशन) का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। इसके लिए अलग-अगल राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन,आन्ध्र प्रदेश में कम्मा व कापू आरक्षण आंदोलन,उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण आंदोलन और गुजरात में पाटीदारों (पटेल) ने आरक्षण की मांग उठाई है।

कैसे हुई आरक्षण की शुरुआत

आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 26 जुलाई, 1902 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी (नौकरी) देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। 1908 में छत्रपति शाहू जी महाराज की सिफारिश पर अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मण के लिए 44 फीसदी, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय-एंग्लो/ईसाई के लिए 16-16 फीसदी और अनुसूचित जातियों के लिए 8 फीसदी आरक्षण दिया गया।

1935 में भारत सरकार अधिनियम-1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया।बताते चले कि गोलमेज सम्मेलन-1932 में आज की हिन्दू पिछड़ी जातियों के साथ धोखाधड़ी कर आरक्षण के लाभ से बंचित कर दिया गया।

1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई।लेकिन उन्होंने आज की पिछड़ी जातियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।1932 से पूर्व सभी शूद्र जातियों को डिप्रेस्ड माना जाता था, पर अम्बेडकर जी डिप्रेस्ड को टचेबल व अनटचेबल में विभाजित कराकर टचेबल डिप्रेस्ड क्लास यानी अछूत व जंगली/आदिवासी पिछड़ी जातियों,(आज की एससी, एसटी) को समानुपातिक आरक्षण शिक्षा, नौकरी व राजनीति में 1935 व 1937 में दिलवा दिए और टचेबल डिप्रेस्ड क्लास(आज के ओबीसी) को बाहर करा दिए। नेता थे जो 85 प्रतिशत बहुजन की लड़ाई को आगे किये।

क्या था आरक्षण का उद्देश्य और मॉडल

आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई। जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले, इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन कैटेगरी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया।

क्या है आरक्षण की वर्तमान स्थिति

महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया।तमिलनाडु में सबसे अधिक 69 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है। कर्नाटक में 62 फीसदी आरक्षण कोटा है। इसके बाद महाराष्ट्र में 52 और मध्यप्रदेश में कुल 50 फीसदी आरक्षण लागू है। 2019 में सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस के नाम से 10 प्रतिशत कोटा दे दिया गया।

आरक्षण से जुड़े कुछ अहम ऐक्ट

15(4) और 16(4) के तहत अगर साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है।

1930 में एच. वी. स्टोर कमेटी ने पिछड़ी जातियों को 'दलित वर्ग', 'आदिवासी और पर्वतीय जनजाति' और 'अन्य पिछड़े वर्ग' में बांटा था।

भारतीय अधिनियम 1935 के तहत 'दलित वर्ग' को अछूत पिछड़ी जाति और 'आदिम जनजाति' को पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया।भारतीय संविधान के तहत अछूत पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति(एससी) व पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति(एसटी) नाम दिया है। एससी व एसटी को भारत सरकार अधिनियम-1935 के तहत शिक्षा व नौकरियों में व भारत सरकार अधिनियम-1937 के तहत राजीनीतिक प्रतिनिधित्व

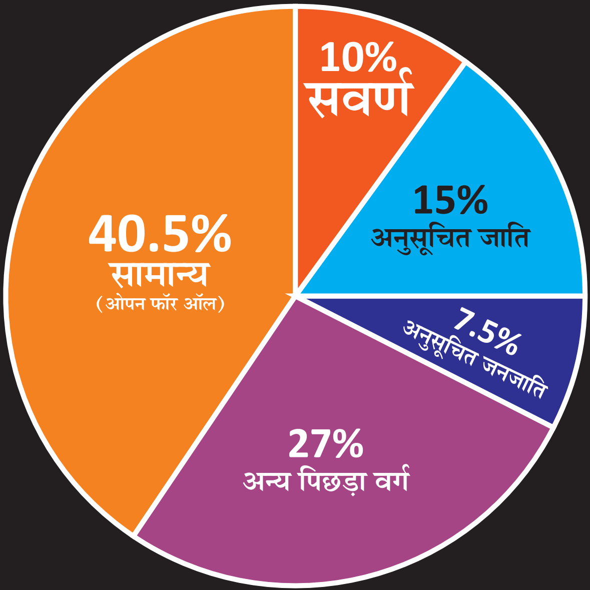

केंद्र के द्वारा दिया गया आरक्षण

वर्ग	कितना आरक्षण
अनुसूचित जाति	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
ईडब्ल्यूएस	10%
कुल आरक्षण	59.5%

(नोट- बाकी 50.5 % आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी खुला है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत कोटा देने के बाद 40.5 प्रतिशत अनारक्षित कोटा है, जिसमें प्रतिभा के आधार पर कोई भी वर्ग प्रतिनिधित्व पा सकता है।)

के लिए समानुपातिक आरक्षण कोटा दे दिया गया। वहीं सछूत पिछड़ी जातियों यानी आज की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ (ओबीसी) धोखाधड़ी की शिकार हो गईं। जिन्हें लंबे अंतराल के बाद वीपी सिंह की सरकार ने मण्डल कमीशन की सिफारिश के तहत नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा की अधिसूचना 13 अगस्त, 1990 को जारी की गई। जिसे 16 नवम्बर, 1992 को शीर्ष अदालत से वैधता मिली और नरसिम्हाराव की सरकार ने 10 सितम्बर,1993 को ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। उच्च शिक्षण संस्थानों में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी के 3 मार्च, 2006 को ओबीसी के कोटा के लिए निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल, 2008 को इसे संवैधानिक वैधता प्रदान किया।

ओबीसी की जनगणना व समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं?

ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 1871 में जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई और अंतिम बार 1931 मे जातिगत जनगणना हुई। देश की आज़ादी के बाद 1951 से जो जनगणना शुरू हुई उसमें एससी, एसटी की जनगणना कराई गई और हर सेन्सस में कराई जाती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना से पल्ला झाड़ लिया गया। यूपीए-2 की सरकार ने 2011 में सोसिओ-इको-कास्ट सेन्सस(एसइसीसी) कराया लेकिन मोदी सरकार ने ओबीसी के आँकड़े जारी नहीं किये। 2011 के सेन्सस के आधार पर एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, रेसलर आदि), दिव्यांग व ट्रांसजेंडर के आँकड़े उजागर किये गए, पर ओबीसी का छुपा लिया गया। जब ओबीसी आरक्षण से सम्बंधित कोई मामला न्यायालय में जाता है तो यही टिप्पणी न्यायाधीशों द्वारा की जाती है कि ओबीसी की संख्या का कोई वैज्ञानिक आँकड़ा नहीं है। अब सवाल यह है कि जब एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना कराई जाती है तो ओबीसी की जनगणना कराने से सरकार पल्ला क्यों झाड़ लेती है? जब एससी, एसटी को जनसंख्या अनुपात में शिक्षा, सेवायोजन व राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है तो अनुच्छेद-15(4) व 16(4) के अनुसार ओबीसी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं और अनुच्छेद-14 के अनुसार समानता का व्यवहार क्यों नहीं? ▪

राम लौटन निषाद
राष्ट्रीय प्रवक्ता
भारतीय ओबीसी महासभा

__बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका__ का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।

ठगी के शिकार मोबाइल उपभोक्ता

मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में आज डूओपोली की स्थिति हो गई है। कुछ वर्षों पूर्व इंडियन मार्केट में कई कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन कंपनियों को मार्केट से बाहर धकेला गया। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने अपनी सुविधा अनुसार 30/31 दिन से महीने में दिनों की संख्या घटा कर 28 दिन कर दिया। मनमाने तरीके से मोबाइल सर्विस के दामों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को लूटने पर लगी हुई हैं प्रस्तुत है निसार अहमद की एक रिपोर्ट...

भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) एक सरकारी निकाय का निर्माण किया। जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना और सहायता प्रदाताओं या ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना होता है। देश में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना है जिससे भारत उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके। परंतु यह संस्था निजी कम्पनियों के मनमानेपन पर रोक न लगाकर लगातार उपभोक्ताओं के हितों पर ही कुठाराघात कर रही है। सेवा दाता कम्पनियों ने मनमाने ढंग से रिचार्ज के रेट बढ़ाए. दिनों की संख्या कम कर दिया। इन कमिंग और आउटगोइंग की समय सीमा कम कर दिया फिर भी ट्राई चुप रही अब पता चल रहा है कि ट्राई एक मोबाइल फोन में दो सिम प्रयोग करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्राविधान करने जा रही है।

यह चार्ज एक मुश्त या सालाना आधार पर भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के ट्राई एक सरकारी निकाय का निर्माण किया। यह चार्ज एक मुश्त या सालाना आधार पर लिया जा सकता है, मोबाइल आपरेटर इस चार्ज को मोबाइल प्रयोग करने वालों से वसूल सकते हैं। हर फोन में दो सिम लगाने की जगह होती है। एक को खाली रखना है तो दो सिम वाला फोन बेचते ही क्यों हो? यह तो वैसा ही है जैसे पालीथीन प्रयोग करने वालों से जुर्माना लगाया जाता था, पालीथीन प्रयोग पर रोक लगाएंगे लेकिन पालीथीन फैक्ट्री बंद नहीं करवाएंगे। इनका सारा प्रपंच उपभोक्ताओं को ही झेलना पड़ेगा। चीन के सामान का बहिष्कार चलाएंगे लेकिन चीन से आयात निर्यात जारी रखेंगे।

पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) निर्माण किया, उसके लिए बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि गांव स्तर तक भी जमीनें खरीदी बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया। लगभग अस्सी हजार टावरों की स्थापना कर इंटरनेट के लिए गांवों में लाखों किलोमीटर तक केबल बिछाए लाखों लोगों को नौकरी एवं रोजगार दिया। सरकारी महकमों के लोग निजीकरण का रोग लगा और धीरे-धीरे पूंजीवादी ताकतों का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ उन्होंने अंधाधुंध सुविधाएं उपलब्ध कराई लोगों को लालच वश निजी कम्पनियों के प्रति उत्सुकता बढ़ती गई। उपभोक्ताओं को भी फ्री का रोग लग गया और बाजारवादी शक्तियों ने लोगों के लालच एवं निर्भरता का बेजा फायदा उठाना प्रारंभ किया, धीरे धीरे अपने ही प्रदत्त सुविधाओं में कम्पनियों द्वारा कटौती आरंभ होता गया नतीजा यह हुआ कि सरकारी के कारण महिनों के दिन भी कम कर दिया गया। इनके महीने अठाईस दिन के हो गए। इस हिसाब से इनका साल 12 बारह महीने के स्थान पर 13 महिनों का होने लगा। बीएसएनएल के प्रति सरकार की उदासीनता और निजी कम्पनियों के प्रति मोह के कारण भारतीय संचार निगम लिमिटेड बर्बादी के दिन शुरू हो गए। एयरटेल, आइडिया, न जाने छूटः कितनी कम्पनियों ने देश के बाजार में धमाल मचाए। कुछ विदेशी कम्पनियां आज भी डेरा डाले हुए हैं। सन् 2014 के बाद जिओ कम्पनी का उदय हुआ जिसके पास स्वयं का टावर तक नहीं था सरकार ने येन केन तरीके से उसे बीएसएनएल का टावर प्रयोग करने की छूट दे दिया, इतना ही नहीं इन निजी कम्पनियों को जहां (4G) फोर जी और (5G) फाइव जी जैसी तकनीकी से लैस होने की सुविधा उपलब्ध कराई गई वहीं बीएसएनएल को आज भी (3G) थ्री जी की ही तकनीकी सुविधा पाकर दिन गुजारने पड़ रहे है।

आधुनिकता की तेज दौड़ में जहां तत्कालीन लाभ लेने में लोग शौक रखते हैं वहीं बीएसएनएल को उस होड़ से दूर रखा गया जिस कारण बीएसएनएल की सेवा से लोगों का पूरी तरह मोह भंग होता चला गया जिसका परिणाम है कि सरकार की यह संस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। बीएसएनएल को मजबूत किया जाता तो प्राइवेट कंपनियों के मनमानेपन पर रोक लगाई जा सकती है। अब तो सरकार इस संस्था के पास बची हुई जमीन और आलीशान भवनों को भी बेचने पर अमादा है। किसी वस्तु मकान संस्थान को बनाना बड़ा ही कठिन होता है लेकिन उसे बर्बाद कर देना बहुत आसान है। कुल मिलाकर ट्राई उपभोक्ताओं की हितैषी एवं संरक्षणकर्ता ना होकर कम्पनियों की हितकारी हो गई है।

काबिलियत तो उसे कहेंगे कि बर्बाद होती धरोहर को चाक-चौबंद इंतजाम के साथ संजोकर रखना उसे बर्बाद होने से बचा लेना। ▪

निसार अहमद
सामाजिक कार्यकर्ता

देश में सभी समस्याओं की जननी है सामाजिक विषमता

स्मृतिशेष शरद यादव

पिछले दिनों शरद यादव की जयंती थी, उनके साथ काम कर चुके बिहार के पूर्णिया निवासी उमेश प्रसाद ने शरद यादव को उनकी जन्मतिथि पर याद करते हुए उनके बारे में बसावन इंडिया को लिखकर भेजा हैं

शरद यादव अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि विश्व में अकेला देश भारत है जहां जाति के आधार पर सम्मान और अपमान दोनों यहां के लोगों को चाहे अनचाहे मिलता रहता है। जी हां, सभी प्रकार की गुणों से विभूषित महान मेधावी लोगों को भी अपमान का घूंट मजबूरन पीना पड़ता है। यहां की सामाजिक रचना और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हीं कुछ इसी प्रकार की हैं। आजादी के 77 वें साल में भी यहां के लोगों को समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय से वंचित होना पड़ रहा है। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा शरद यादव को देश के बहुसंख्यकों की यह पीड़ा जीवन भर खलती रही थी। लोकसभा सत्र के समय संसद भवन में उनकी दहाड़, सिंह गर्जना शोषक वर्गों को स्तब्ध कर देता था। वे अपने अक्खड़ स्वभाव और बेवाक बोल के लिए भी जाने जाते रहे थे। गोल्ड मेडलिस्ट बीटेक योग्यता से विभूषित हमारे राष्ट्रीय नेता शरद यादव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। शायद वे भारत के प्रथम नेता थे, जो तीन-तीन राज्यों से सांसद चुने गए। भारत में शिक्षा की असमानता से वे काफी दुखी रहते थे। पूर्णिया सर्किट हाउस में उनसे कई बार मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में उनके दिल का दर्द बयां हो जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में काफी विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। देश में अलग-अलग बोर्ड व्यवस्था लागू हैं। धनवानों के बच्चे अलग-अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके सिलेबस अलग-अलग होते हैं, गरीबों-मजदूरों के बच्चे फटे-चिथड़े पहनकर रुखे-सुखे भोजन खाकर, साधन विहीन होकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। जहां पढ़ाई नाम मात्र हीं होती रही हैं। इतनी विषमताओं के बावजूद भी नौकरियों में भर्ती होने के पूरे देश में एक समान प्रश्न पत्र, जो ऊंच्च वर्गों के बच्चों के पाठ्यक्रमों से जुड़े होते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है ।इस विषय पर मान्यवर शरद् यादव बराबर चर्चाएं करते थे। मेहनत -मजदूरी करने वाले को अपमान, झूठा शेखी बघारने वाले को सम्मान, यह हजारों वर्षों से हमारे देश में चलता आ रहा है। देश के बहुसंख्यक लोगों को न्याय दिलाने के लिए मंडल आयोग को लागू करवाने में मान्यवर शरद यादव जी का अभुतपूर्व योगदान रहा था। इसलिए उन्हें मंडल मसीहा भी कहा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु के रूप में भी यहां के लोग उन्हें मानते हैं। उनके ऊपर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों का अमिट छाप पड़ा था। मान्यवर शरद यादव की छवि साफ-सुथरी ईमानदार राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, विज्ञानवाद, ढोंग और पाखंड के विरोध में रही हैं। इस मायने में भी वे अकेले राजनेता थे, जो न कभी मंदिर गए और न कभी कोई मस्जिद गए।न कभी किसी देवी-देवताओं से मन्नतें मांगी। वे भारत की जनता को हीं अपना सब कुछ मानते थे। यूं कहें तो उनका जीवन भारतीय संविधान के अनुरूप हीं था। इसीलिए उन्हें बाजपेई सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद घोषित किया गया था। वे नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और कपड़ा मंत्री भी रहे थे। ऐसे महान मनीषी का जन्म 1 जुलाई 1947 ई को माखन नगर होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका देहावसान 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में गुड़गांव के फॉर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट में हो गया।इस प्रकार भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे का अंत हो गया। समाचार फैलते हीं पूरे देश में शोक की लहरें छा गई। आज वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को सदैव याद रखेंगे। देश के नव निर्माण में उनके उल्लेखनीय कार्यों को भारत का इतिहास सदैव याद रखेगा। संसद के अंदर 33% महिलाओं के आरक्षण के मसले पर उन्होंने पिछड़ी जातियों के महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिए जाने पर जोर दिया था। एक बार लोकसभा में उन्होंने कहा था कि "भारत के सभी देवी -देवताओं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि- कृपया भारत को छोड़कर चले जाएं।यहां के लोगों को चैन से रहने दें। युद्ध से कई गुना अधिक लोग धर्म की लड़ाई में मारे गए हैं।" ▪

उमेश प्रसाद
पूर्णिया, बिहार

कजरी : घेरे बा बदरिया हो ना...

पूर्वांचल में पेड़ों पर डाले गये झूले

कजरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोक गायन है। चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिस से लोगों को तपती गर्मी से निजात मिलती है अमूमन सावन ऐसा महीना है जब चारो तरफ हरियाली होती है। सावन सेहत और मनोरंजन का महीना है। लोग गर्मी से निजात पाने के बाद जमकर खाते-पीते थे और पहलवानी करते थे लोक मानस में इस महीने की मस्ती में पूर्वांचल में कजरी गई जाती थी पेड़ों पर झूले डाले जाते थे महिलाएं इस पर बैठ कर कजरी का गायन करती थी जो बीच बीच में हसी ठिठोली भी हुआ करती थी।

पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में कजरी गायन का तरीका भी अलग अलग है मिर्जापुर,बनारस,जौनपुर गाजीपुर, आजमगढ़ जिलों में कजरी गजरी गायन होता है, लेकिन धीरे धीरे यह गायन लोक जगत से हट कर फ़िल्मी जगत तक सीमित हो गया।

जब तीज अपने परम्परागत स्वरुप में होती थी, उसमे ब्रहामंवादी परम्पराओं का अतिक्रमण नहीं हुआ था तो तीज ले जाने वालों में कजरिहार भी शामिल हुआ करते थे। कजरिहार वे लोग हुआ करते थे जो कजरी गायन किया करते थे। तीज के मौके पर गाँव-जवार की महिलाएं इकठ्ठा होकर कोरस में कजरी गायन किया करती थी। उस दौर के कजरी गायन में वाद्ययंत्रों का प्रयोग कम होता था।

कजरी के लिए प्रसिद्ध तत्कालीन मिर्जापुर और वर्तमान में भदोहीं जिले का भोरी और महजूदा गाँव की कजरी रात रात भर चलती है। कजरी गायन प्रतियोगिता में हार जीत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था, कभी कभार तो सिर फोड़व्वल की नौबत आ जाती है। जौनपुर और आस पास के क्षेत्रों में झूम झूमकर कजरी गाई जाती है, ये अलग बात है कि अब कजरी का स्वरुप व्यावसायिक हो गया और कजरी गायन का जिम्मा महिलाओं की जगह पुरुषों ने संभाल लिया।पूर्वांचल में गाई जाने वाली प्रसिद्ध कजरी जो क्षेत्रीय अंचल से निकल कर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मंचों पर गाई जाती है।

पहले कजरी गायन में विषय वस्तु लौकिक जीवन के आसपास हुआ करती थी प्रेम सुख दुख अमीरी गरीबी हुआ करती थी। कब और कैसे इसका स्थान पार लौकिक हो गया कुछ पता नहीं व्यावसायिक रूप से कजरी गायन को की परंपरा को आगे बढ़ा रहे डॉ राजेश बिंद ने पूर्वांचल में गाई जाने वाली कजरी लिख कर भेजी है -

सखी कइसे खेलबू
सावन के कजरिया हो
घेरे बा बदरिया हो ना...
एक त बड़ा जात काम
दूजे लागे सर पे घाम
सइयां चला गए नाही मोर
नजरिया हो घेरे बा बदरिया हो ना...
समय अइसन बलवान
सब क मोबाईल में ध्यान
पेट पर्दा बदे बाहर का
सफरिया हो घेरे बा बदरिया हो ना...
लड़िका पढ़त नाही मोर,
सबका ध्यान मोबाईल की ओर
नियत भ्रष्ट होर ग
जात की डगरिया हो,
घेरे बा बदरिया हो ना...
कइसे करी हम बखान
भारत देश मोर महान
गीत राजेश गावें सावनी बयरिया हो,
घेरे बा बदरिया हो ना...

डॉ. राजेश बिंद

डॉ. राजेश बिंद कहते हैं कि बनारस के आसपास के जिलों जिसमें बहुसंख्यक आबादी खेतिहर, पशु पालक, मछली पालक लोगों की है। जिसमे कुर्मी, कोइरी, अहीर, गड़ेरिया, बिंद, मल्लाह जैसी जातियां जो कभी बौद्धमतानुयायी हुआ करती थी, इन जातियों ने कजरी को बौद्ध मठों से निकालकर लोक जन में ले जाकर लोग गायन के रूप में स्थापित किया। श्रवण संस्कृति का

पूर्वांचल की ढूनमुनिया कजरी

डॉ. मन्नू यादव
मो.न. +91 9415994909

देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग लोक परम्पराएँ विद्यमान हैं जो उस समाज की दर्पण होने के साथ ही स्वयं में एक लम्बा इतिहास समेटे हुए होती हैं। ये लोक परम्पराएँ व्यक्तियों की दैनिक चर्चा का अंग होती हैं इसीलिए कोई इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक अंचलों में अलग-अलग लोक संस्कृतियाँ उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका सम्बन्ध वहां के लोगों से सीधे होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अवधी, भोजपुरी, बुन्देलखंड, ब्रज और पश्चिमी लोक संस्कृति का सामान्य रेखांकन किया जा सकता है जो अध्ययन और शोध की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में खेती-किसानी से जुड़े लोक गीतों में ढूनमुनिया कजरी की एक अलग पहचान है जो मूलतः किसानों द्वारा बरसात के दिनों में खेतों में काम करने के बाद अवकाश के क्षणों में अपनी थकान मिटाने और इसी बहाने मनोरंजन करने के उद्देश्य सेगीत-संगीत की बैठकी में गयी जाती है जिसमें तरह-तरह के लोक गीतों की प्रस्तुतियों के माध्यम से घर, परिवार, समाज और देश की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया जाता है। प्रारंभ में इन प्रस्तुतियों का श्रोता वर्ग उनका किसानों का समूह, मोहल्ला अथवा गाँव होताथा लेकिन धीरे-धीरे जब ये लोक कलाएं मंच पर स्थान पाने लगीं तो इनके श्रोता वर्ग समाज के अन्य लोग भी बने और उनके द्वारा इनको भरपूर स्नेह, प्यार और दुलार भी मिला। उनकी देख-रेख और संरक्षण में यह कला खूब फली-फूली। लोक संस्कृति की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में पूर्वांचल की कजरी लोक विधा का जिक्र किया जाना प्रासंगिक है जो यहाँ के ऋतु गीतों की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण लोक विधा मानी जाती है। यद्यपि कजरी अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में काफी लोकप्रिय है लेकिन कजरी का एक विशिष्ट स्वरुप ढूनमुनिया कजरी, पूर्वांचल क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर होती है जो आज इस क्षेत्र से भी लगभग विलुप्त सी हो रही है। ढूनमुनिया कजरी में लोक गायकी का एक विशिष्ट पुट दिखाई पड़ता है जिसमें कजरी और बिरहा की मिश्रित शैली में यह लोक वाद्यों के संग वृत्ताकार समूह में कलाकारों द्वारा घूम-घूम कर नृत्य की मुद्रा में ढोल, मंजीरा और करताल के साथ तालियों की थाप से लय में लय मिलाकर गायी जाती है। इस गीत टोली में लगभग 8 से 10 कलाकार होते हैं जिसमें महिला पुरुष का कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं होता। यह केवल इस विधा के कलाकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सुनने और देखने में अत्यधिक प्रिय एवं मनोरंजक यह कजरी कभी पूर्वांचल की प्रमुख लोक शैली थी परन्तु आज अनेक कारणों से यह लोक विधा लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। विशेष कर नयी पीढ़ी के गायक कलाकारों में इस विधा के प्रति रुझान भी कम दिखाई पड़ता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि इस लोक विधा के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर प्रयास करें अन्यथा यह विद्या दम तोड़ने के लिए विवश होगी।

अद्भुत उत्सव कजरी धान की रोपाई, चरवाही, मछली मारने के दौरान गया जाता था। शाम को ऊर्जा और उत्साह के लिए मनोरंजन और ज्ञानरंजन के लिए कजरी गायनहोता था

कजरी की उत्पत्ति

कजरी सावन महीने का मुख्या गायन है,सावन का महीना चल रहा है सावन के महीने में, बरसात के दौरान बौद्ध जन वर्षावास किया करते थे। जाने-माने सामाजिक चिंतक कोमल प्रसाद का कहना है कि सावन महीनों की खूबियों की वजह से बौद्ध वर्षा वास करते थे, इस दौरान कच्चे रास्ते और कीड़े मकोड़ों की वजह से इन लोगों का आवागमन बहुत कम होता था, तीन महीने के लिए ये लोग एक ही जगह रुकते थे, इस दौरान अध्ययन-अध्यापन और गायन-चिंतन में अपना समय व्यतीत किया करते थे। गृहस्थो के साथ विचारों का आदान-प्रदान हुआ करता था। बौद्ध जनों के ठहराव के परिणाम स्वरुप कजरी का विकास हुआ।

सावन का धार्मिक स्वरुप चाहे जो भी हो 15 से 20 दिनों तक शरीर चुस्त दुरुस्त हुआ करता थे पूर्वांचल क्षेत्र में इस समय अखाड़े सज जाया करते थे, बसंत पंचमी के अवसर पर गाँव में अखाड़ों में कुश्ती प्रतियोगिता हुआ करती थी, लगभग 105 सावन देख चुके आजमगढ़ के शीतल प्रसाद कहते हैं कि हमारे बचपन में अखाड़े बनाये जाते थे, बार बार मिट्टी को खोदकर उसे भुरभुरा बना लिया जाता था हम लोग उसमे कुस्ती लड़ा करते थे कुस्ती के लिए बाकायदा प्रशिक्षक हुआ कटते थे जो जिन्हें नट कहा जाता था जो कुस्ती के दौरान ढोल बजाते थे और निर्देशित किया करते थे। ▪

सारनाथ बौद्ध विहार

कोमल प्रसाद
मो.न.- 9565869539

लेखक परिचय

अध्येता, जन बुद्धिजीवी व प्रख्यात सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता डॉ. लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रतिरोध व सृजन के ज़िले आज़मगढ़ से हैं। एक सामान्य निम्न-मध्यमवर्गीय किसान परिवार में पले बढ़े। बड़े पिताजी से कबीरपंथी सतगुरु की, तो वहीं पिता कॉमरेड शिवनारायण यादव से समाजवादी विचारों की सीख विरासत में पाई। अम्मा पूरे परिवार को सम्हालते हुए आंगनवाड़ी में काम करती थीं। डॉ. लक्ष्मण की शुरुआती शिक्षा आज़मगढ़ में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाख़िला लिया। परास्नातक में वे विश्वविद्यालय के गोल्ड-मेडलिस्ट रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से तुलसीदास विषयक आलोचना पर शोधकार्य किया। तक़रीबन डेढ़ दशक तक डीयू के ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में अध्यापन किया। डॉ. लक्ष्मण यादव मौजूदा वक्त के सामाजिक न्याय आंदोलन के सबसे सशक्त लोकप्रिय नाम हैं। वे भारतीय समाज की संघर्षधर्मी जनपक्षधर धाराओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए समाजवाद, आंबेडकरवाद, स्त्रीवाद और आदिवासियों के संघर्ष सामाजिक न्याय की एक वृहत्तर लड़ाई के अलग-अलग रंग हैं।

"वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, "प्रोफेसर प्रोफेसर की डायरी पर लागू होती। प्रोफेसर की डायरी प्रोफेसर की उस दर्द का, उस प्रताड़ना का ही परिणाम है जो डॉ. लक्ष्मण यादव ने जीया है,जो देखा है, वही सत्य है, प्रोफ़ेसर की डायरी में दिखता है।

प्रोफेसर की डायरी, प्रोफ़ेसर की आह है। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक के बहुत सारे प्रोफ़ेसर है, उनके बहुत सारे कष्ट हैं, प्रोफेसर की डायरी उन कष्टों से मेल खाती है जिसके चलते लोगों ने डॉ. लक्ष्मण यादव के दर्द की तदनुभूत हुई, हजारों लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा। लोगों ने अपने आप को इस पुस्तक से जोड़ पाया। हाल ही में प्रकाशित 'प्रोफ़ेसर की डायरी' ने हिंदी पट्टी की दुनिया में हलचल मचा रखा है। रिकॉर्ड बनाने वाली यह बेस्ट-सेलर क़िताब अब तक चार भाषाओं में आ चुकी है।

कोई साहित्य तभी सफल माना जाता है जब उसमे मार्मिकता हो, लोगों के दर्द से मेल खाती उन्हे स्पर्श करती हुई हो इस तरह के दर्द से दलितों पिछड़े वर्ग के कर्मचारी या फिर जीवन में बिजनस में होता है। प्रोफ़ेसर चूंकि एक समाज का हाईली क्वालीफाईड तबका होता है, जो इस दर्द को चुपचाप सहन नहीं कर सकता है। डॉ. विजेंद्र चौहान के शब्दों में 'ये डायरी उस सच को नग्न करती है, जिसे हम सब जानते हैं किंतु मानने से इंकार करते हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की गटर-गंगा को उघाड़ती है। मंडल से प्राण-प्रतिष्ठा तक के कैंपस का इतिहास है ये किताब ।'

डॉ. लक्ष्मण यादव के शब्दों में 'एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़-विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है।

इंडियन युनिवर्सिटीज की दुर्दशा और उनमे बढ़ रही सामंती ठसक को इस प्रकार से बयां किया है प्रस्तुत है इसी पुस्तक का कुछ अंश –

दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफ़ेसर मार्कण्डेय सिंह हाथी पर बैठकर मुख्य सभा स्थल तक चले आ रहे हैं। अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति को यूँ 'गज-गमन सुख' नहीं नसीब हुआ। डीयू के 'लोगो' में एक हाथी 1922 से ही खड़ा है। आज उसे चलता देखकर डीयू झूम उठा। मैं सोचने लगा ग़नीमत है कि डीयू के लोगो में हाथी है, कहीं भैंस होती तब? क्या कुलपति उस पर भी बैठ जाते? भैंस पर बैठ जाते तो भैंसचांसलर हो लेते। दरअसल भैंसें हमारी सभ्यता के मुहाने पर खड़ी हैं और हाथियाँ राज दूरबारों की सामंती ठसक का प्रतीक हैं।

युनिवर्सिटीज की दुर्दशा के बारे में वे आगे लिखते हैं कि-

'मेरे तो दोनों बच्चे सेटल्ड हो गये। अंकुश को ऑस्ट्रेलिया सूट नहीं किया तो अब वह डेनमार्क जा रहा है। नीलेश तो कब से मुझे बेल्जियम बुला रहा।'

'एक्ज़ेक्टली, वैसे भी इस कंट्री में हायर एजुकेशन का कोई लेवल ही कहाँ है।'

मैं यह संवाद अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज के स्टाफ रूम में सुन रहा हूँ। ये सब प्रोफ़ेसर हैं। मगर इनके बच्चे वह पढ़ाई नहीं पढ़ते, जिन्हें ये पढ़ाते हैं। क्योंकि इन्हें सब हक़ीक़त पता है। अपने पढ़ाने की भी और बाकी सबकी भी। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करना। जानबूझकर कौन आग में कूदता है भला। ▪

उषा सेन
सामाजिक कार्यकर्ता

नेपथ्य के नायक खंड - 1 & 2

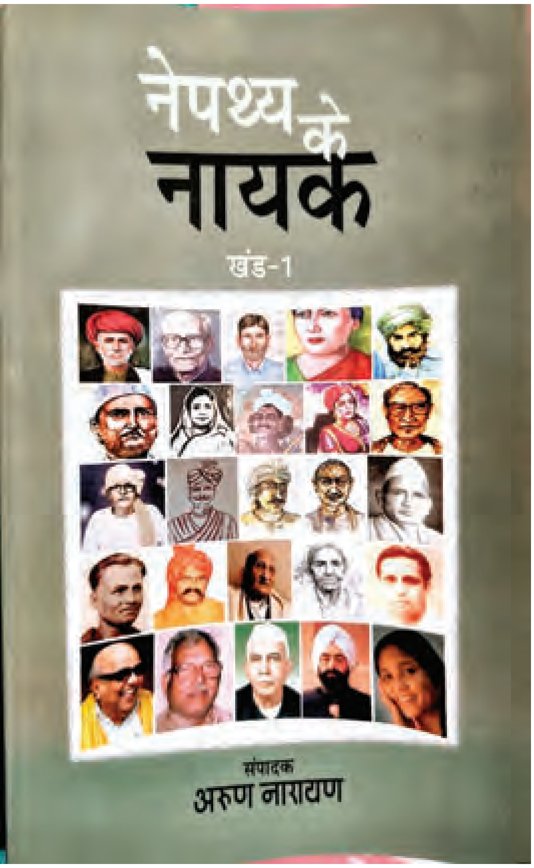

परिचय

अरुण नारायण
संपादक

अरुण नारायण जी का जन्म 11 जनवरी, 1979 को जहानाबाद स्थित गोलविगहा(सेवती) गांव में एक माध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, प्राथमिक शिक्षा गावं में हुई, पिता श्री राजदेव प्रसाद के निर्देशन में गंभीर चिंतन की बारीकियां सीखी| उन्होंने पटना विश्वविद्यालय,मगध विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। लेखन के शौक के चलते उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री भी प्राप्त कर लिया। अपने इसी शौक के चलते वे प्रकाशन कार्यो में रम गए, खबरनवीश (बिहार के पत्रकारों की प्रोफाइल), बिहार में हिन्दी पत्रकारिता (बिहार की पत्र-पत्रिकाओं की प्रोफाइल), निरंजना के 'नई सदी में स्त्रीः सृजन, संघर्ष और साझेदारी' विशेषांक का अतिथि संपादन किया । इस दौरान वे कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। संप्रति चर्चित पत्रिका सबाल्टर्न का सह संपादन कर रहे हैं। इस समय वे बिहार विधान परिषद में सहायक के पद पर कार्यरत हैं।

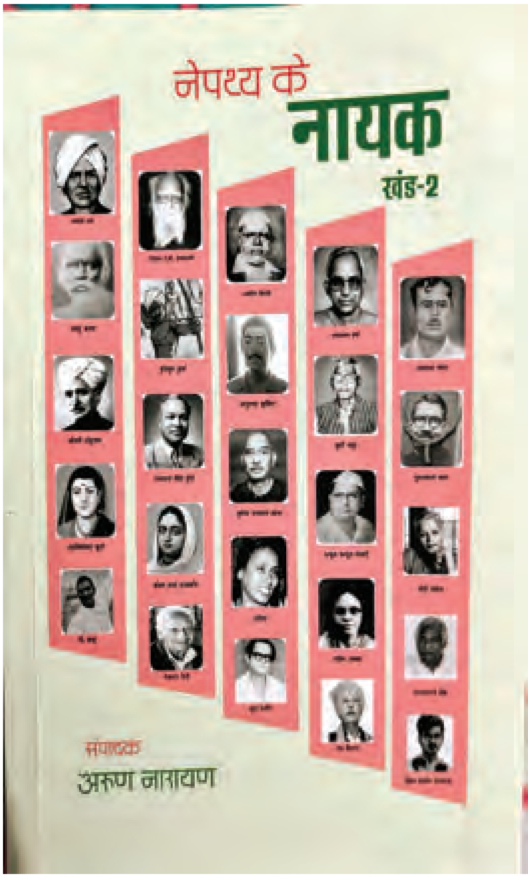

जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की ही शौर्य गाथाएँ गायी जाती रहेगी!" सवर्ण भारतीय लेखकों द्वारा लेखन में की गई दरिद्रता और चोरी ने देश के आधे अधूरी लेखन को पूर्ण करने की दिशा में दो खंडों में आ चुकी पुस्तक नेपथ्य के नायक एक महत्वपूर्ण पहल है।

नेपथ्य के नायक खंड 1 और खंड 2, 25-25 बहुजन नायक-नायिकाओं के जीवन का डाक्यूमेंटेशन किया गया है | इस पुस्तक में आदिवासी, दलित,ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम समूहों से आनेवाले कई तरह के सुनाम-गुमनाम नायक-नायिकाएं हैं। ओबीसी वर्ग समूह का विस्तार इस देश की आबादी के बड़े हिस्से तक विस्तृत है, लेकिन व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी दस प्रतिशत भी नहीं है। यह श्रमिक कारीगर जातियों का ऐसा समुच्चय है जिन्होंने कृषि, कारीगरी, कला-साहित्य और संस्कृति जैसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के माध्यम में बहुत सशक्त हस्तक्षेप किया है। लेकिन मुख्यधारा के इतिहास, साहित्य और प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी की न्यूनता उनकी उपेक्षा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है। पिछली सदी से ही इतिहास के हर मोड़ पर इन उपेक्षाओं से उबरने या उससे बाहर निकलने की पुरजोर कोशिशें हुई हैं। यह कोशिश इतिहास के व्यापक पुनर्लेखन की मांग करती है। डा अंबेडकर ने कहा था कि अभी भारत का इतिहास लिखा जाना बाकी है। नेपथ्य के नायक पुस्तक इसी यात्रा की एक कड़ी है। इस पुस्तक के लेखकों का पूरा समूह भी इन्हीं मध्यवर्ती जातियों के हैं। इनमें कई मशहूर हैं तो कई ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कलम पकड़ी है। उनके लेखन में बेशक एक अनगढ़पन है, लेकिन उनमें अपने समाज को लेकर एक पैशन है। उन्होंने बहुत सलीके से अपने नायकों का चरित्र चित्रण बहुत कुशलतापूर्वक किया है जो किसी सवर्ण पूर्वाग्रही लेखक के लेखन से लाख दर्जे बेहतर है, जिन्होंने इन नायकों के साथ ईमानदारी नहीं बरती यदि उन्होंने कुछ लिखा भी तो बहुत ही विकृत लेखन किया है। ऐसे नायक गुंडाधर धुर्वा हैं जिनके मूल चरित्र को विकृत रूप में उकेरा गया है, गुंडाधर धुर्वा एक सेनानी थे, जिनके नाम पर ब्रिटिश हुकूमत ने एक कानून बनाया था, जो आज भी चला आ रहा है जिसे गुंडा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह बेहद अफसोसजनक है कि नायक गुंडाधर धुर्वा के साथ लेखन में न्याय नहीं किया गया। नेपथ्य के नायक में न्यायपूर्ण लेखन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ▪

तंगलान : सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करती दक्षिण की फिल्म

पा. रंजीत की नई फिल्म 'तंगलान' भारत के अतीत और उसके जरिए उसके वर्तमान को समझने के नए रास्ते प्रदान करती है। तंगलान एक पात्र का नाम है, जो एक अछूत है, और सब कुछ उसके खिलाफ होते हुए भी, वह जमीन के एक छोटे-से टुकड़े का मालिक बना हुआ है। इस जमीन की कीमत कुछ भी नहीं है। मगर एक ऐसी दुनिया में, जिसमें उसका जिंदा बना रहना ही सामाजिक व्यवस्था पर आक्षेप हो, जमीन का वह छोटा-सा टुकड़ा तंगलान की आजादी का क्रांतिकारी उद्घोष बन जाता है।

स्थानीय जमींदार, जिसे मिरासीदार कहा जाता है और जो दमितों के श्रम पर जीता है, उसे यह छोटी-सी चुनौती भी चुभती है। वह कई कुटिल चालें चलता है और अंततः तंगलान से जमीन का वह टुकड़ा छीनने में सफल हो जाता है। तंगलान और उसके परिवार के सात सदस्य पन्नैयल प्रणाली का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। पन्नैयल, बंधुआ मजदूरी की एक प्रथा है, जो सिर्फ नाम में ही गुलामी से भिन्न है।

रंजीत केवल दमन को परदे पर दिखाने तक सीमित नहीं रहते। वे इतिहास की उन जटिल परतों को उघाड़ते हैं, जिन्हें अधिकांश लोग ढंके ही रहने देना चाहेंगे। तंगलान के गांव में लार्ड क्लेमेंट नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी पहुंचता है और लोगों से सोने की खोज के अपने अभियान में मदद मांगता है। यह तंगलान के जीवन का एक निर्णायक मोड़ तो साबित होता ही है, यह औपनिवेशिक भारत की हमारी समझ को भी एक नया परिप्रेक्ष्य देता है। उसके परिवार की अनिच्छा के बावजूद, तंगलान अंग्रेजों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मिरासीदार का गुलाम बने रहना उसे मंजूर नहीं है। आजादी और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में वह सोना खोजने के अभियान से जुड़ जाता है। तंगलान के जीवन में यह परिवर्तन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और दलित इतिहास, दोनों के पारंपरिक निरूपण को चुनौती देता है।

फिल्म के सबसे प्रभावी दृश्यों में से एक में तंगलान जब अपने गांव लौटता है, तो वह पूरी तरह बदला हुआ होता है। वह अंग्रेजों की तरह की पोशाक पहने, घोड़े का सवार होता है और उसके बगल में एक बंदूक होती है। उसका यह स्वरुप दर्शकों को चकित कर देता है और हमें विचार करने के लिए एक मुद्दा भी देता है।

विविधतापूर्ण और विचारशील फिल्मो की दिशा में 'तंगलान' एक नई शुरुआत हो सकती है। यह एक बड़े बजट की फिल्म है जो असहज करने वाली सच्चाईयों से परहेज नहीं करती। यह एक ऐतिहासिक फिल्म है, जो हमारे आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। पारंपरिक रूप से लिखित इतिहास के हाशिये पर रहे समूहों को केंद्र में रख कर बनाई गई यह फिल्म भारत के अतीत और उसके ज़रिये उसके वर्तमान को समझने के नए रास्ते प्रदान करती है। ▪

विवेक कुमार

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe

ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 500/- ☐ 2 वर्ष ₹ 1000/- ☐ 5 वर्ष ₹ 2500/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10, 000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधि पाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

मैं पिछले दो सालों से बसावन इंडिया का नियमित पाठक रहा हूं। बसावन के आंकड़े विशेष करके मंडल ऑडिट और गांवों की जातीय जनगणना मुझे बहुत पसंद हैं। मेरा संपादक महोदय से अनुरोध है कि मेरे गांव की भी जनगणना प्रकाशित करे।

जुनैद
नारायणपुर सुल्तानपुर

बसावन इंडिया पत्रिका की तल्खी और कर्मठता ने मुझे और मेरी मित्र मंडली को बहुत प्रभावित किया हैं। आज के आर्थिक युग में हम इस स्पष्टता की आशा ही छोड़ चुके थे। बसावन की पूरी टीम को उनके इस क्रांतिकारी प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

तनय
लखनऊ

संपादक महोदय मैं बसावन इंडिया पत्रिका नियमित पढ़ना चाहता हूं ।लेकिन मेरा काम अलग अलग शहरों और गांवों में होता है जिससे मैं पत्रिका नियमित नहीं पढ़ पाता। आपकी पत्रिका की स्पष्टवादिता का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अपने लेखों के माध्यम से आप हमे आगे भी ज्ञानांवित करते रहिएगा।

शिवम
मऊ

बसावन की सामाजिक मुद्दों की गहरी पकड़ और समीक्षात्मक शैली को देखकर, आज से 30 साल पहले की स्वच्छ पत्रकारिता की याद आ जाती है। बसावन के संपादन दल को मैं उनकी कार्यशैली के लिए धन्यवाद देता हूं।

रामजीत सिंह
अंबेडकरनगर

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

एडवोकेट देशराज (लखनऊ) 9415767238
परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330
तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327
कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273
संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875
कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539
राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600
निर्मला चौधरी (जौनपुर)
9554687948
सुनीता (जौनपुर/खुटहन)
9616045400
सिद्धार्थ चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300
प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054
कृष्णा पटेल (वाराणसी)
7880381159
विनय कुमार (बलिया)
9415659396
उमेश प्रसाद यादव (पुर्णिया बिहार)
9709514029
जवाहर लाल राय (मुजफ्फरनगर बिहार)
7903148751
आशीष यादव (गौरी गंज अमेठी)
9648550222
बृजेंद्र बहादुर यादव (फूलपुर आजमगढ़)
7309814736
प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का मंडल ऑडिट

सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर डटी हुई कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर कितनी खरी है इसको लेकर इस बार बसावन इंडिया ने देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर मंडल आडिट किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या कांग्रेस सचमुच सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गंभीर है?

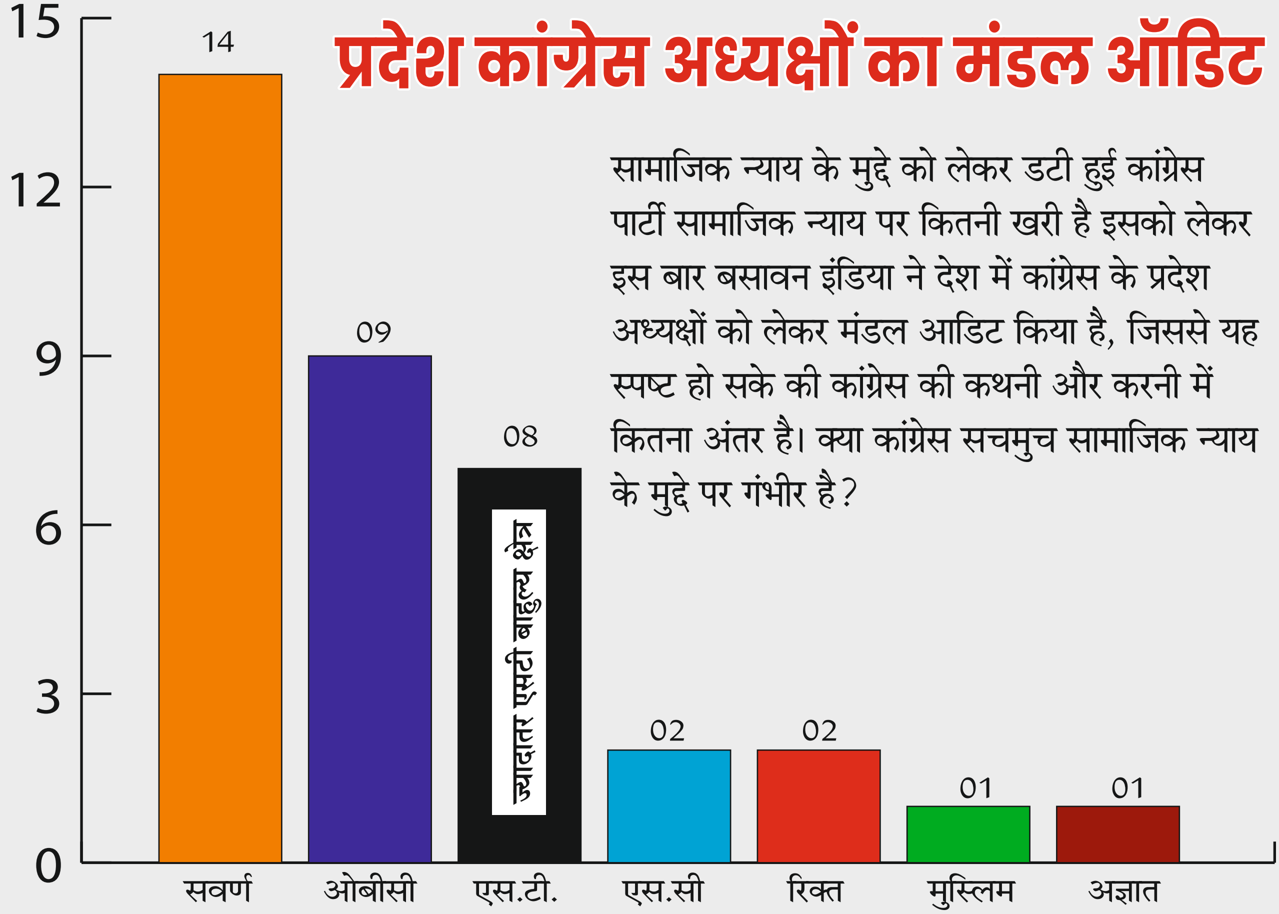

विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 16 पढ़े।

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम अरौद, पो.गिरौद, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

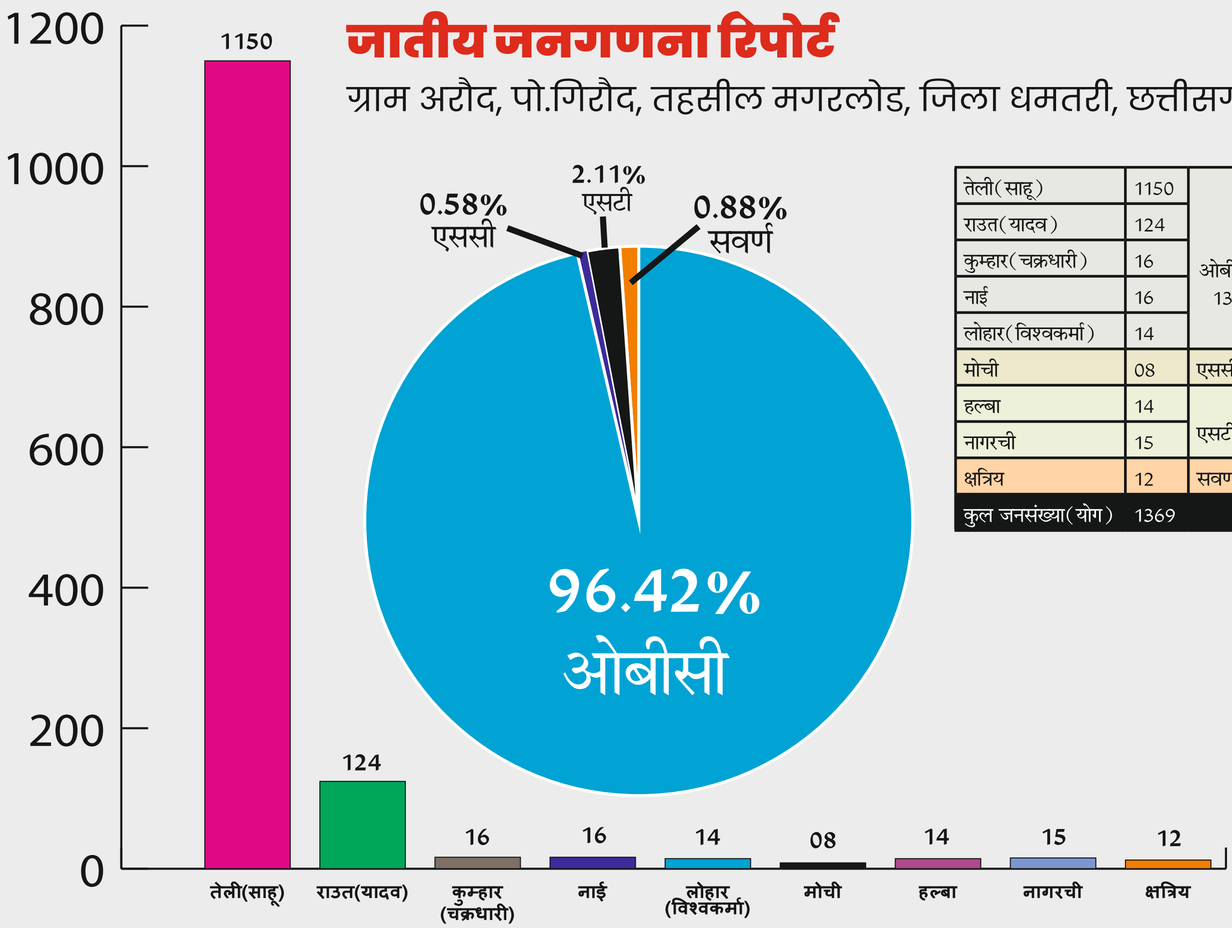

तेली(साहू)	1150	ओबीसी - 1320
राउत(यादव)	124	
कुम्हार(चक्रधारी)	16	
नाई	16	
लोहार(विश्वकर्मा)	14	
मोची	08	एससी-08
हल्बा	14	एसटी-20
नागरची	15	
क्षत्रिय	12	सवर्ण-12
कुल जनसंख्या(योग)	1369	

विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 17 पढ़े।

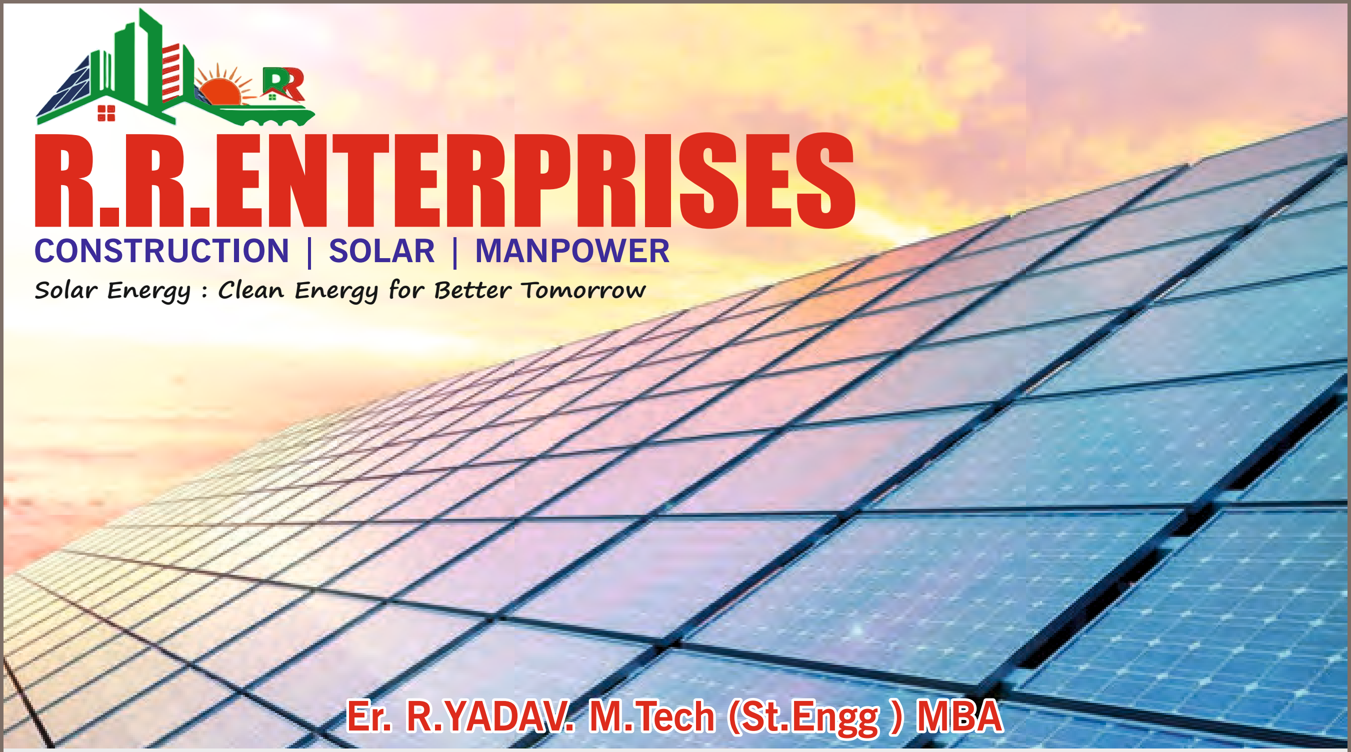

B-4/92, Vijayant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Up 226010
Mob.: 9919009971, 9452131362 | Email : rrenterprises9971@gmail.com